



आईएसओ 9001:2015 एवं आईएसपीएस अनुवर्ती पोर्ट

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

विल्लिंगडन आईलन्ड, कोचिन- 682 009

वार्षिक लेखा
एवं

लेखा परीक्षा रिपोर्ट
2019-20

वर्ष 2019-20 की रिपोर्ट में दिए गए
लेखा -परीक्षा आपत्तियों /विचारों पर की गई
कार्रवाई की टिप्पणी सहित



आईएसओ 9001:2015 एवं आईएसपीएस अनुवर्ती पोर्ट

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

विल्लिंगडन आईलन्ड, कोचिन- 682 009

वार्षिक लेखा

2019-20

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

विषय सूची

			पृष्ठ संख्या
		तुलन पत्र	1
		लाभ और हानि लेखा	2
अनुसूची	उप अनुसूची		
		तुलन पत्र हेतु अनुसूचियाँ:	
I		संचय एवं अधिशेष	3
		सांविधिक संचय	3
		अनुदान सहायता	3
II		ऋण निधियाँ	3
III		अवमूल्यन के लिये पूंजिगत परिसम्पत्तियाँ और प्रावधान	5
IV		निवेश	4
V		विविध देनदार	4
VI		नकद एवं बैंक में जमा राशि	4
VII		ऋण एवं अग्रिम	4
VIII		मौजूदा देनदारियाँ एवं प्रावधानों	4
		तुलन पत्र के लिये अनुसूचियों हेतु उप अनुसूचियाँ:	
	क	पूँजी संचित	6
	ख	निधियाँ एवं सांविधिक संचय	7
	ग	अनुदान सहायता	8
	घ	बैंक में जमा राशि एवं नकदी	9
		निवेश	10
		लाभ और हानि लेखा के लिये उप अनुसूचियाँ	
		आय	
	ङ	कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	11
	च	पोर्ट और गोदी शुल्क	11
	छ	रेलवे आमदनी	11
	ज	संपदा किराया	11
		व्यय	
	झ	कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	12
	ञ	नौवहन के लिये पोर्ट एवं गोदी सुविधाएँ	12
	ट	रेलवे कार्य	12
	ठ	भाड़ा योग्य भूमि और भवनों	13
	ड	प्रबंधन और सामान्य प्रशासन	13
	ढ	वित्त और विविध आय	14
	ण	वित्त और विविध व्यय	14
		लाभ और हानि लेखा के लिये अतिरिक्त अनुसूची	15-17
IX		कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह के तुलन पत्र	18
		सी.एफ.एच के आय और व्यय लेखा	19
		सी.एफ.एच. की प्राप्ति और भुगतान खाता	20
X		वार्षिक लेखा के लिये टिप्पणियाँ	21 - 36
XI		पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	37 - 42
XII		लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई	43 - 48

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

31 मार्च 2020 तक तूलन पत्र

विवरण	अनुसूची	2019-20		2018-19	
		₹	₹	₹	₹
I निधि के स्रोत					
संचय और अधिशेष	I				
क पूंजिगत संचय		84,84,07,574		84,84,07,574	
ख निधियाँ		66,30,095	85,50,37,669	63,83,013	85,47,90,587
ग सांविधिक संचय			16,72,81,794		16,72,81,794
घ सहायता अन्दान			16,86,69,429		25,84,81,066
ऋण निधियाँ	II				
क सरकारी ऋण		4,46,82,33,147		5,02,67,62,290	
ख असुरक्षित ऋण		2,52,64,168	4,49,34,97,315	2,48,75,272	5,05,16,37,562
कुल			5,68,44,86,207		6,33,21,91,008
कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह	IX		11,86,366		11,86,366
कुल योग			5,68,56,72,573		6,33,33,77,374
II निधियों का प्रयोग					
स्थिर / पूंजिगत परिसम्पत्तियाँ	III				
सकल ब्लॉक		6,76,59,97,577		6,88,71,12,299	
न्यून:अवमुल्यन हेतु प्रावधान		3,05,98,94,951		3,02,33,71,954	
निवल ब्लॉक			3,70,61,02,626		3,86,37,40,345
पूंजिगत कार्य प्रगति पर			28,23,42,207		20,54,03,844
निवेश	IV		1,15,00,000		15,00,000
मौजूदा परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम					
क चालू परिसम्पत्तियाँ:					
i अर्जित ब्याज		4,59,13,266		4,11,91,387	
ii संपत्ति सूची		64,76,599		86,73,328	
iii विविध देनदार	V	62,14,31,954		1,38,10,90,200	
iv नकद एवं बैंक में जमा राशि	VI	2,27,56,18,217		2,35,41,97,396	
ख ऋण एवं अग्रिम	VII	75,28,53,152		81,56,61,603	
कुल			3,70,22,93,189		4,60,08,13,914
न्यून:चालू देनदारियाँ एवं प्रावधान	VIII	6,94,21,08,702		7,47,66,53,342	
निवल चालू परिसम्पत्तियाँ			-3,23,98,15,513		-2,87,58,39,428
ग लाभ और हानि लेखा (संचित हानि)			4,92,43,56,887		5,13,73,86,247
कुल			5,68,44,86,207		6,33,21,91,008
कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह	IX		11,86,366		11,86,366
कुल योग			5,68,56,72,573		6,33,33,77,374

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

ह/-
अध्यक्ष

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा

	उप अनुसूची	2019-20	2018-19
		₹	₹
आय			
कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार	ड	2,45,51,80,349	2,29,58,57,747
पोर्ट एवं गोदी प्रभार (मार्गदर्शन प्रभार समेत)	च	2,93,89,33,340	2,47,59,33,425
रेलवे आमदनी	छ	0	0
सम्पदा भाड़ा	ज	1,09,62,00,509	1,08,33,40,908
कुल		6,49,03,14,198	5,85,51,32,081
कम व्यय:			
कार्गो हस्तन एवं भण्डार	झ	54,38,03,851	56,10,46,521
नौवहन के लिये पोर्ट एवं गोदी सुविधाएँ (मार्गदर्शन प्रभार समेत)	ञ	1,52,33,15,536	1,69,75,67,012
रेलवे कार्य	ट	0	0
भाड़ा योग्य भूमि एवं भवनों	ठ	27,08,53,747	24,96,42,092
प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन (विशेष गतिविधि के लिये सीधे उत्तरदायी नहीं)	ड	1,22,07,72,982	1,23,84,53,478
कुल		3,55,87,46,115	3,74,67,09,103
परिचालन लाभ (+) / हानि (-)		2,93,15,68,083	2,10,84,22,978
योग: वित्त और विविध आय	ढ	43,19,86,772	46,60,81,151
कुल		3,36,35,54,855	2,57,45,04,129
न्यून: वित्त और विविध व्यय	ण	3,15,05,25,494	2,38,26,59,723
कर पूर्व लाभ		21,30,29,360	19,18,44,406
न्यून: करार्धान हेतु प्रावधान			
कर पश्चात् लाभ		21,30,29,360	19,18,44,406
न्यून : विनियोजन पूजिगत संचय		0	0
कुल			
राजस्व संचय के लिये शेष स्थानान्तरित		21,30,29,360	19,18,44,406
कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह			
आय	त	4,45,33,735	3,79,53,088
व्यय		4,50,74,613	3,84,10,243
अधिशेष(+)/ घाटा (-)		-5,40,878	-4,57,154

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा
अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट
31.03.2020 तक तूलन पत्र के लिये अनुसूची

विवरण	अनुसूची	उप अनुसूची	2019-20	2018-19
			₹	₹
संचय और अधिशेष	I	क एवं ख		
पूँजीगत संचय			84,84,07,574	84,84,07,574
सीपीई(एचबीए) परिवार लाभ निधि			35,77,158	36,35,358
कर्मचारी कल्याण निधि			29,81,211	25,85,541
परिवार सुरक्षा निधि			71,726	1,62,114
कुल			85,50,37,669	85,47,90,587
सांविधिक संचय	I	ख		
पूँजीगत संपदाओं के प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण हेतु निधि			9,83,85,897	9,83,85,897
विकास, आकस्मिक व्यय और ऋण के पुनर्भुगतान हेतु निधि			6,88,95,897	6,88,95,897
कुल			16,72,81,794	16,72,81,794
सहायता अनुदान	I	ग		
एएसआईडीई योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान			0	-7,53,81,316
पैदल रास्ता और पार्किंग सुविधाओं के विकास हेतु सहायता अनुदान			-19,21,399	1,10,28,679
अतिरिक्त पर्यटन सुविधा -पैदल रास्ता सृजन हेतु सहायता अनुदान			-72,89,222	2,36,98,274
अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर पोतान्तरण टर्मिनल (आईसीटीटी) के सामने सबवे/फ्लाईओवर के निर्माण हेतु सहायता अनुदान			3,39,26,942	3,27,91,055
रेल ओवर ब्रिज के लिए सहायता अनुदान			8,30,89,349	13,26,31,922
आर एवं डी योजना के अंतर्गत "अवसादन एवं इष्टतम सुधारक उपायों पर अध्ययन" पर सहायता अनुदान			-10,10,380	-10,10,380
प्रदूषण प्रतिक्रियाओं (पीआर) उपकरण / सामग्री की खरीद के लिए सहायता अनुदान			65,81,258	62,74,018
आईपीडीएस के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान			-1,19,66,651	-22,15,032
एरणाकुलम वाफ के बर्थ एवं पिछले क्षेत्र की पुनरुद्धारण के लिए सहायता अनुदान			61,25,425	4,59,20,573
कूज टर्मिनल के लिए बुनियादी संरचना विकास हेतु सहायता अनुदान(सामुद्रिका)			-11,38,043	61,36,545
कूज टर्मिनल के लिए अतिरिक्त बुनियादी संरचना विकास हेतु सहायता अनुदान			3,89,46,455	0
कुल			14,53,43,734	17,98,74,338
न्यून: सहायता अनुदान से खर्च किए अधिक रकम- चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत अनावृत मंत्रालय से प्राप्त			-2,33,25,694	-7,86,06,728
कुल जोड़			16,86,69,429	25,84,81,066
ऋण निधियाँ	II			
क. सरकार से ऋण				
ऋण की मूल राशि			2,06,51,44,356	2,32,32,87,400
योग:अर्जित ब्याज			2,26,28,33,314	2,54,56,87,478
योग:अर्जित जुर्माना ब्याज			14,02,55,477	15,77,87,412
इति शेष			4,46,82,33,147	5,02,67,62,290
ख असुरक्षित ऋण	II			
(क) अन्य स्रोत ऋण				
ऋण की मूल राशि			29,91,508	29,91,508
योग:अर्जित ब्याज			2,22,72,660	2,18,83,764
इति शेष			2,52,64,168	2,48,75,272

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा
अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

31.03.2020 तक तुलन पत्र के लिये अनुसूचियाँ

विवरण	अनुसूची	उप अनुसूची	2019-20	2018-19
			₹	₹
निवेश	IV			
क दीर्घावधि निवेश मेसर्स कोचीन ब्रिज इन्फ्रास्ट्रक्चर कं. लि. के शेयरों में (प्रति 10 रु की 1,50,000 इक्विटी शेयर)			15,00,000	15,00,000
ख वर्तमान निवेश म्यूचुल निधि में निवेश - एसबीआई मागनम लो डूरेशन फण्ड डायरेक्ट ग्रीत (3865.844 इकाई रु 2586.757 प्रति इकाई का @ एनएवी)			1,00,00,000	0
कुल			1,15,00,000	15,00,000
विविध देनदार	V			
सरकारी देय - 6 माह से कम			11,01,96,343	11,63,78,290
- 6 माह से अधिक			5,42,11,823	68,99,43,170
गैर सरकारी देय - 6 माह से कम			24,56,04,647	9,79,79,546
- 6 माह से अधिक			30,64,69,651	56,72,08,768
			71,64,82,464	1,47,15,09,775
न्यून:संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			9,50,50,510	9,04,19,573
कुल			62,14,31,954.06	1,38,10,90,200
नकद एवं बैंक में जमा राशि	VI	घ		
नकदी			82,425	14,196
बैंक में शेष : वर्तमान लेखा			17,60,39,291	13,62,85,696
मियादी जमा			2,09,75,50,303	2,21,76,32,520
कैश कार्ड			19,46,198	2,64,985
कुल			2,27,56,18,217	2,35,41,97,396
ऋण एवं अग्रिम (नकद या प्रकार में वसूलीयोग्य अथवा प्राप्त किये जाने के लिये मूल्य)	VII			
अग्रिम में भुगतान एवं शेष ऋण जमा			70,25,59,441	70,99,43,940
योग:मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान से खर्च किए अधिक रकम			2,69,68,016	2,71,10,934
			2,33,25,694	7,86,06,728
कुल			75,28,53,152	81,56,61,603
वर्तमान देनदारियाँ एवं प्रावधानों	VIII			
वर्तमान देनदारियाँ				
सामान्य भविष्य निधि			68,28,52,692	64,88,53,302
देय वेतन व मजदूरी			17,14,56,936	50,37,43,181
देय ईएसआई अंशदान			1,02,600	0
देय ईपीएफ अंशदान			5,85,738	6,03,185
अर्जित व्यय			97,33,69,243	2,34,13,00,735
विविध लेनदार और जमा शेष			2,87,35,20,124	1,87,85,76,185
व्यापारी, ठेकेदार और दूसरों से जमा			2,24,02,21,369	2,10,35,76,754
कुल			6,94,21,08,702	7,47,66,53,342

ह/-

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

अनुसूची III

31.03.2020 तक पूंजीगत परिसम्पत्ति रजिस्टर

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	परिसम्पत्तियाँ	सकल ब्लॉक				अवमूल्यन हेतु प्रावधान				निवल ब्लॉक	
		□ 01-04-2019 तक	योग	विलोपन	31-03-2020 तक	01-04-2019 तक	विलोपन पर	वर्ष के दौरान	31-03-2020 तक कुल	31-03-2020 तक	01-04-2019 तक
1	भूमि	51,49,16,218	0	0	51,49,16,218	0	0	0	0	51,49,16,218	51,49,16,218
2	पूंजी निकर्षण	84,39,61,873	0	0	84,39,61,873	18,23,04,631	0	84,53,922	19,07,58,553	65,32,03,320	66,16,57,242
3	भवन, शेड और अन्य संरचनाएँ	74,76,29,092	48,30,202	91,62,818	74,32,96,476	35,87,58,484	37,70,628	2,44,70,432	37,94,58,288	36,38,38,188	38,88,70,609
4	वार्फो, सड़कों और चौहदियों	1,84,59,55,387	2,06,09,328	17,90,255	1,86,47,74,460	55,74,87,169	0	4,18,77,428	59,93,64,597	1,26,54,09,864	1,28,84,68,218
5	प्लव यान	1,46,27,53,200	0	14,63,64,554	1,31,63,88,646	1,01,97,14,937	14,63,64,553	4,40,37,254	91,73,87,638	39,90,01,008	44,30,38,263
6	गोदी, समुद्री बांध आदि	18,18,56,439	0	0	18,18,56,439	16,53,87,216	0	20,40,860	16,74,28,076	1,44,28,363	1,64,69,223
7	क्रेनों और वाहनों	17,34,98,090	0	0	17,34,98,090	11,92,29,054	0	1,53,01,648	13,45,30,702	3,89,67,388	5,42,69,036
8	संयंत्र और मशीनरी	38,15,44,629	1,07,63,376	0	39,23,08,005	23,17,26,529	0	2,31,32,232	25,48,58,761	13,74,49,244	14,98,18,100
9	जल, बिजली, अग्निशमन एवं दूर संचार हेतु स्थापनाएँ	68,66,94,482	0	0	68,66,94,482	34,34,65,706	0	2,68,91,444	37,03,57,150	31,63,37,332	34,32,28,776
10	तेल पाइपलाइन स्थापनाएँ	3,83,25,308	0	0	3,83,25,308	3,76,27,179	0	46,541	3,76,73,720	6,51,588	6,98,129
11	विविध परिसम्पत्तियाँ	99,77,582	0	0	99,77,582	76,71,050	0	4,06,418	80,77,468	19,00,114	23,06,532
	कुल	6,88,71,12,299	3,62,02,906	15,73,17,627	6,76,59,97,577	3,02,33,71,954	15,01,35,181	18,66,58,179	3,05,98,94,951	3,70,61,02,626	3,86,37,40,345
	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	20,54,03,844	9,29,01,105	1,59,62,742	28,23,42,207	0	0	0	0	28,23,42,207	20,54,03,844
	कुल योग	7,09,25,16,143	12,91,04,011	17,32,80,369	7,04,83,39,784	3,02,33,71,954	15,01,35,181	18,66,58,179	3,05,98,94,951	3,98,84,44,833	4,06,91,44,189

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा
अधिकारी

उप अनुसूची- क

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

पूंजीगत संचय

विवरण	₹
01.04.2019 तक आदि शेष	84,84,07,574
31.03.2020 तक इति शेष	84,84,07,574

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

निधियों एवं सांविधिक संचयों का विवरण

जी/एल कोड	परिवार सुरक्षा निधि	कर्मचारी कल्याण निधि	भवन निर्माण अग्रिम-एफबीएफ	ऋणों एवं आकस्मिक व्ययों के पुनर्भुगतान विकास हेतु संचय	प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं पूंजीगत संपदाओं के आधुनिकीकरण हेतु संचय
	110102	110101	110100	110201	110200
	₹	₹	₹	₹	₹
1 अप्रैल 2019 तक शेष	1,62,114	25,85,541	36,35,358	6,88,95,897	9,83,85,897
<u>योग:</u> जीआरएफ से अंशदान	8,50,000	7,20,000	39,350		
कर्मचारियों से अंशदान	1,72,612	0	0		
बीमा निगम से दुर्घटना दावा	0	0	0		
निवेश पर ब्याज	0	0	2,01,376		
कुल	11,84,726	33,05,541	38,76,084	6,88,95,897	9,83,85,897
<u>न्यून:</u> निधि से व्यय/समायोजन	11,13,000	3,24,330	2,98,926		
31 मार्च 2020 तक शेष	71,726	29,81,211	35,77,158	6,88,95,897	9,83,85,897

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट
सहायता अनुदान

उप अनुसूची-ग

(रुपये करोड़ों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	जीएस	अनुमोदित रकम	प्राप्त अनुदान										व्यय किए गए										शेष		
				2013-14 के पूर्व	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	अर्जित ब्याज	कुल	2013-14 के पूर्व	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	भुगतान ब्याज	सी डब्ल्यू आई पी को स्थानांतरित		कुल	
1	बार्ज बर्थ के लिये एएसआईडी अनुदान	110004	15.00	-	7.50	-	-	0.88	-	-	-	1.40	13.89	-	-	-	-	6.99	6.59	4.42	0.08	-	-7.60	13.89	-	
2	सीएफएस के लिये		4.04	-	2.02	-	2.02	-	-	-	-	0.07		-	0.40	2.92	0.40	-0.31	-	-	-	-				
3	पैदलरास्ता के लिये विकास (फेस I, II, III)	110005	9.01	0.12	1.12	-	-	4.75	0.05	2.70	-	0.37	9.11	0.21	0.84	0.01	0.31	0.23	3.69	2.69	1.32	-	-	9.30	-0.19	
4	अतिरिक्त पर्यटन सुविधा - पैदल रास्ता का सृजन	110017	4.66	-	-	-	-	-	-	2.33	-	0.15	2.48	-	-	-	-	-	-	-	3.21	-	-	3.21	-0.73	
5	सबवे-बल्लारपाडम	110007	30.00	-	-	10.00	-	8.45	8.31	3.00	-	1.09	30.85	-	-	0.53	10.68	9.54	6.18	0.53	-	-	27.46	3.39		
6	बल्लारपाडम में रेल ओवर ब्रिज	110015	409.83	373.22	-	-	-	-	5.00	31.61	-	1.30	411.13	360.34	0.11	3.30	7.67	7.76	5.58	12.69	5.37	-	-	402.82	8.31	
7	अवसादन पर आर एवं डी अध्ययन	110008	5.37	-	-	1.25	2.00	-	2.11	-	-	0.24	5.60	-	-	0.48	0.48	3.36	1.15	0.23	-	-	5.70	-0.10		
8	तटीय द्रव्य टोमिनल का नवीकरण	110010	14.96	-	-	-	7.48	5.29	-	1.68	-	0.54	14.99	-	-	-	0.13	8.14	5.86	0.32	-	0.54	-	14.99	0.00	
9	प्रदूषण अनुक्रिया उपकरण की खरीद	110011	5.23	-	-	-	2.61	-	-	-	-	0.40	3.01	-	-	-	-	-	1.98	0.01	-	0.36	-	2.35	0.66	
10	आईपीडीएस	110012	3.26	-	-	-	-	0.32	-	0.48	0.38	-	1.18	-	-	-	-	-	0.32	0.70	1.36	-	-	2.38	-1.20	
11	स्वच्छ भारत	110013	6.61	-	-	-	-	2.61	2.00	2.00	-	0.29	6.90	-	-	-	-	-	4.61	2.00	-	0.29	-	6.90	-	
12	एरणाकुलम वाफ के बर्थ एवं पिछले क्षेत्र की पुनरुद्धारण (एरणाकुलम वाफ के कृज टर्मिनल)	110014	21.41	-	-	-	-	4.33	-	6.37	6.42	0.69	17.81	-	-	-	-	-	0.16	6.42	10.62	-	-	17.20	0.61	
13	कृस टर्मिनल के लिए बुनियादी संरचना का विकास (सामदिका)	110016	1.21	-	-	-	-	-	-	0.60	0.16	0.04	0.80	-	-	-	-	-	-	-	0.91	-	-	0.91	-0.11	
14	कृस टर्मिनल के लिए अतिरिक्त बुनियादी संरचना का विकास	110018									5.15	0.06	5.21								1.32			1.32	3.89	
	कुल		530.59	373.34	10.64	11.25	14.11	26.63	17.47	50.77	12.11	6.64	522.96	360.55	1.35	7.24	19.67	35.71	36.12	30.01	24.19	1.19	-7.60	508.43	14.53	

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

31.03.2020 तक बैंक में जमा राशि और नकदी

विवरण		₹
नकदी		82,425
कैष कार्ड		19,46,198
राष्ट्रीय एवं अनुसूचित बैंकों के साथ वर्तमान खाता		17,60,39,291
बैंकों के साथ मियादी जमा:		
सामान्य संचय निधि	32,93,18,000	
जमा कार्य	97,86,47,304	
अनुदान	15,18,85,000	
कुल जमा		1,45,98,50,304
सामान्य भविष्य निधि		63,47,99,999
एचबीए एफबीएफ निवेश		29,00,000
कुल		2,27,56,18,217
राष्ट्रीय बैंकों के साथ शेष		2,27,55,35,792
अनुसूचित बैंकों के साथ शेष		शून्य

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा
अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

31.03.2020 तक मियादी जमा

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	निधि/निवेश का नाम	दीर्घावधि निवेश	अल्पावधि निवेश	कुल
1	आर एण्ड आर निधि	0	32,93,18,000	32,93,18,000
2	जमा कार्य	11,21,72,268	86,64,75,036	97,86,47,304
3	अनुदान	0	15,18,85,000	15,18,85,000
4	एचबीए एफबीएफ	29,00,000	0	29,00,000
5	सामान्य भविष्य निधि	63,47,99,999	0	63,47,99,999

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा
अधिकारी

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

आय

	2019-20	2018-19
	₹	₹
उप अनुसूची - ड		
कार्गो हस्तन एवं भण्डार प्रभार		
सामान्य कार्गो पर हस्तन एवं भण्डार प्रभार	23,40,66,483	20,86,41,848
क्रेन-भाड़ा	4,97,992	5,79,850
पेट्रोलियम, तेल एवं लूब्रीकण्ट के हस्तन प्रभार	1,07,44,78,576	1,02,24,96,581
सामान्य कार्गो पर विलंब शुल्क	66,90,311	75,22,806
कंटेनरों पर हस्तन एवं भण्डार प्रभार	30,68,586	29,44,227
विविध प्रभार - कार्गो	1,40,34,102	1,72,82,857
आईसीटीटी से राजस्व शेयर	96,23,37,894	95,05,70,342
बंदरगाह अधिशुल्क-एलएनजी बेसिन	16,00,06,406	8,58,19,236
कुल	2,45,51,80,349	2,29,58,57,747
उप अनुसूची - च		
पोर्ट और गोदी प्रभार		
नौकर्षण एवं नौबन्ध प्रभार	22,33,26,814	19,57,33,752
बर्थ किराया प्रभार	28,31,23,536	27,06,05,396
पोर्ट देय	76,29,15,762	60,64,78,897
कन्हारी शुल्क	1,52,99,24,841	1,29,21,16,600
नौवहन के लिये जल आपूर्ति	12,21,219	1,19,72,652
विविध प्रभार- जहाज़	64,28,678	74,60,547
निकर्षण सेवाओं से आय	2,94,52,737	1,29,92,000
क्रूइस जहाज़ से आय	10,25,39,753	7,85,73,581
कुल	2,93,89,33,340	2,47,59,33,425
उप अनुसूची - छ		
रेलवे आमदनी	0	0
उप अनुसूची - ज		
संपदा भाड़ा		
ज़मीन से किराया	60,53,08,921	64,42,43,522
भवनों, शेड और गोदामों से किराया	10,57,87,091	10,59,64,782
विविध आय	36,72,26,936	31,69,63,270
विविध आय	1,78,77,561	1,61,69,335
कुल	1,09,62,00,509	1,08,33,40,908

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ एवं हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

व्यय

	2019-20	2018-19
	₹	₹
<u>उप अनुसूची - झ</u>		
<u>कार्गो हस्तन एवं भण्डार</u>		
शेड एवं वाफ़ों में सामान्य कार्गो के हस्तन एवं भण्डारण	36,92,94,646	38,88,32,553
कंटेनरों के हस्तन एवं भण्डारण	17,45,900	14,75,615
क्रेन एवं जहाज़ों के प्रचालन एवं अनुरक्षण	2,29,39,582	2,27,96,066
पेट्रोलियम, तेल एवं लूब्रीकेंट के हस्तन	7,58,45,109	7,04,61,011
वाफ़ों एवं चौहदियों में सामान्य सुविधाओं पर व्यय	39,02,030	45,82,967
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	6,99,78,083	7,27,83,197
नये लघु कार्य	98,500	1,15,112
कुल	54,38,03,851	56,10,46,521
<u>उप अनुसूची - झ</u>		
<u>कन्हारी शुल्क समेत नौवहन के लिये पोर्ट एवं गोदी सुविधाएँ</u>		
नौकर्षण, बर्थिंग एवं नौबंध	17,69,06,465	17,66,07,175
कन्हारी शुल्क	6,41,94,815	6,38,31,451
नौवहन के लिये जल आपूर्ति	66,54,463	1,07,72,187
अग्निशमन	8,83,01,128	9,36,62,208
निकर्षण एवं समुद्री पर्यवेक्षण	82,24,42,653	1,06,52,78,728
हार्बर गश्ती दल	67,34,923	55,69,919
नौसंचालन संबंधी सहायता के प्रचालन एवं अनुरक्षण	2,71,68,969	3,66,03,581
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	33,09,09,217	24,52,18,037
नये लघु कार्य	2,901	23,726
कुल	1,52,33,15,536	1,69,75,67,012
<u>उप अनुसूची - ट</u>		
<u>रेलवे कार्य</u>		
स्टेशन, अन्य भवनों एवं संरचनाओं का अनुरक्षण	0	0

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु उप अनुसूचियाँ

व्यय

	2019-20	2018-19
	₹	₹
उप अनुसूची - ठ किराये योग्य भूमि और भवनों		
संपदा अनुरक्षण	17,34,66,472	14,11,64,480
प्रशासन एवं सामान्य व्यय	9,73,87,275	10,84,54,487
नये लघु कार्य	0	23,125
कुल	27,08,53,747	24,96,42,092
उप अनुसूची - ड प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन		
प्रबंधन एवं सचिवालय व्यय	36,12,40,916	34,18,38,591
चिकित्सा व्यय	13,49,80,940	14,16,23,145
भण्डार रक्षण	2,18,95,472	2,03,67,049
लेखांकन एवं लेखा परीक्षण	23,82,23,428	29,21,20,865
मुख्य कार्यालय भवन एवं दूरभाष	96,73,400	88,76,180
अभियंत्रण एवं शिल्पशाला प्रशासन	15,41,38,530	15,41,28,355
अतिरिक्त और विविध व्यय	30,05,04,146	27,93,90,271
नये लघु कार्य	1,16,151	1,09,022
कुल	1,22,07,72,982	1,23,84,53,478

ह/-
वित्तीय सलाहकार
एवं मुख्य लेखा अधिकारी

जीएल कोड	विवरण	2019-20	2018-19
	उप अनुसूची - ढ		
	वित्त और विविध आय		
540000	विविध प्राप्तियाँ	6,76,56,395	8,77,13,696
540001	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निपटान पर लाभ/हानि	91,63,018	1,04,99,999
540003	आईजीटीपीएल से प्राप्य ब्याज	88,07,766	2,00,56,465
540004	पूँजीगत परिसम्पत्तियों पर बीमा दावा की वसूली	5,71,527	5,55,456
540005	ब्याज आय	8,89,72,092	8,87,09,637
540006	बिना कारामद भंडारण का क्रय	27,03,523	0
540007	मोटर लॉरी और विविध संयंत्रों का किराया	44,087	3,05,088
540008	परियोजना प्रबंधन सेवाओं के लिये प्रभार	4,95,67,618	5,49,95,704
540009	पिछले वर्ष से संबंधित मर्दे	8,30,15,474	2,39,47,422
540010	पेंशनभोगियों के लिये चिकित्सा योजना	74,962	70,432
540011	गैर हकदार लोगों के लिये चिकित्सा उपचार	6,22,581	6,16,127
540012	भूमि के लीज हेतु प्रीमियम	4,19,38,395	10,78,66,068
540013	इंडिया योजना (एस ई आई एस) से सेवा निर्यात	7,88,49,334	7,07,45,056
	कुल	43,19,86,772	46,60,81,151
	उप अनुसूची - ण		
	वित्त और विविध व्यय		
670000	परिसम्पत्तियों के खण्ड	0	11,53,850
670002	बैंक प्रभार	4,99,663.51	4,12,253
670004	संदिग्ध ऋण के लिये प्रावधान	46,30,937	54,35,814
670006	कर्मचारी कल्याण निधि के लिये अंशदान	7,20,000	7,00,000
670007	परिवार सुरक्षा निधि के लिये अंशदान	8,50,000	8,00,000
670008	पेंशन निधि न्यास के लिये अंशदान	2,62,35,24,947	2,01,67,26,552
670009	पिछले वर्षों से संबंधित व्यय	20,25,80,137	2,14,30,284
670010	सीपीटीई एचबीए एफबीएफ के लिये अंशदान	39,350	51,800
670012	सीपीई नई पेंशन योजना के लिये अंशदान	1,13,68,322	85,96,565
670014	उपदान निधि न्यास के लिये अंशदान	29,54,19,734	15,76,43,029
670020	वेतन बकाया देय	0	10,11,65,822
670023	बिजली जमा पर ब्याज	33,19,850	28,97,257
670026	अन्य स्रोत ऋणों पर ब्याज	3,88,896	6,01,964
670027	व्यवहार्यता एवं अनुसंधान व विकास अध्ययनों पर व्यय	4,70,112	6,19,38,595
670031	सहकारी सामाजिक उत्तरदायित्व	67,13,546	31,05,938
	कुल	3,15,05,25,494	2,38,26,59,723

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा हेतु अतिरिक्त अनुसूची
परिचालन व्यय

जीएल कोड	विवरण	2019-20	2018-19
		₹	₹
	वेतन एवं मजदूरी:		
600000	वेतन एवं मजदूरी (सामान्य)	19,64,51,743	18,85,69,340
600002	पीएलआर	2,28,84,227	2,41,76,298
600003	समयोपरि	1,37,46,223	1,84,70,732
600004	प्रोत्साहन	28,06,761	30,00,267
600005	मानदेय	84,71,890	85,69,666
600006	अवकाश नकदीकरण	7,08,96,934	13,71,81,704
600007	वेतन एवं मजदूरी (परिचालन)	66,85,33,080	70,01,74,523
600008	वेतन एवं मजदूरी (आर एण्ड एम)	39,20,79,142	40,96,03,617
600010	अवकाश यात्रा रियायत	14,83,022	5,20,480
600011	कर्मचारी सुविधा और कल्याण उपाय	28,810	35,028
600012	नियोक्ता ईएसआई अंशदान	11,80,698	17,11,325
600013	नियोक्ता ईपीएफ अंशदान	36,94,632	35,98,616
640000	वेतन(पत्तन सुरक्षा)	2,33,69,353	2,54,76,524
650000	वेतन एवं मजदूरी-चिकित्सा	9,77,45,708	9,86,94,134
	कुल (क)	1,50,33,72,223	1,61,97,82,254
	भण्डार		
610000	भण्डार-सामान्य	9,27,950	10,37,281
610001	भण्डार-यूनिफार्म	6,41,032	8,36,512
610002	भण्डार-परिचालन	68,26,000	92,77,611
610003	भण्डार-ईंधन	14,34,39,252	15,34,01,012
610004	भण्डार(आर एण्ड एम)	90,37,034	1,00,80,468
	कुल (ख)	16,08,71,267	17,46,32,884
	कार्यालय और प्रशासनिक व्यय		
620000	स्टोर-स्टेशनरी की खपत	5,52,108	5,40,802
620001	पुस्तकें व पत्रिकाएं	22,648	7,925
620002	यात्रा व्यय	40,08,637	54,35,441
620004	कुरियर शुल्क	1,96,627	1,92,391
620005	लाइसेंस शुल्क व अधिशुल्क	29,08,031	29,39,082
620006	उपकरण और फर्नीचर	2,09,766	1,06,068

जीएल कोड	विवरण	2019-20	2018-19
		₹	₹
620010	विविध व्यय	58,77,239	86,28,289
620011	नये लघु कार्य	12,78,340	31,57,657
620013	मनोरंजन	2,93,439	5,97,237
620014	प्रशिक्षण कार्यक्रम	11,83,425	11,09,365
620015	क्रीड़ा और खेल कूद	9,00,000	9,00,000
620016	विधिक प्रभार	99,21,090	77,06,542
620017	मुद्रण प्रभार	6,18,833	7,67,618
620018	कार्यालय मशीन किराया और सेवा शुल्क	45,480	27,903
620019	प्रचार और विज्ञापन	41,35,137	45,59,566
620020	लेखा परीक्षा और लेखांकन	41,86,648	49,87,887
620021	किराया, दरों और शुल्कों	55,47,830	11,86,987
620022	दूरभाष	12,80,092	14,02,472
620023	अभिदान	1,59,017	2,20,151
620025	आईपीए शेयर अंशदान	3,82,44,079	1,38,45,561
620026	विपणन व्यय	12,86,550	16,03,351
	कुल (ग)	8,28,55,017	5,99,22,294
	परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय		
630000	ठेका सड़कों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	48,97,252	62,53,185
630001	ठेका भवनों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	92,76,892	72,61,233
630002	ठेका-संयंत्र एवं उपकरणों द्वारा आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	32,00,962	36,66,790
630004	प्लव यान का शुष्क गोदीयन	6,08,58,653	9,41,79,985
630005	ठेका सड़कों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	3,15,84,637	79,76,894
630006	ठेका भवनों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था की गयी	1,32,46,793	10,11,881
630007	ठेका-संयंत्र एवं उपकरणों द्वारा विशेष आर एण्ड एम की व्यवस्था की	44,31,528	41,17,204
630008	वाहनों का किराया और परिवहन प्रभार	98,72,077	90,27,807
630009	जल प्रभार	4,66,57,178	4,10,08,490
630012	बिजली प्रभार	26,77,98,762	24,47,53,581
630013	बोट, टॉग एवं लॉन्च का किराया	19,85,16,420	14,44,34,427
630015	निकर्षण अनुरक्षण	70,58,99,815	86,36,35,909
630016	विविध व्यय	3,95,12,396	2,37,11,928
630017	बीमा	54,69,626	33,30,229
630018	स्व खपत-बिजली	1,84,31,563	1,60,14,605
	कुल (घ)	1,41,96,54,554	1,47,03,84,148

जीएल कोड	विवरण	2019-20	2018-19
		₹	₹
	सुरक्षा व्यय		
640001	गश्त के लिए नाव का किराया	27,05,311	24,19,741
640002	आई एस पी एस	0	500
640004	के.ओ.सु.ब.-तैनाती प्रभार	15,80,43,412	17,54,17,322
640005	एसईजेड-लागत वसूली	13,41,702	40,86,314
640006	निजी सुरक्षा प्रभार	63,57,977	50,38,234
	कुल (ड)	16,84,48,402	18,69,62,111
	चिकित्सा व्यय		
650001	विशेषज्ञों को वेतन, शुल्क और मानदेय	34,76,859	32,25,494
650002	भण्डार-चिकित्सा	2,21,07,678	2,35,99,316
650003	प्रावधान-चिकित्सा	4,47,722	6,14,418
650004	अस्पताल उपकरण	43,067	64,160
650005	चिकित्सा व्यय	15,09,470	18,88,005
650006	बाहरी अस्पतालों को भुगतान प्रभार	93,01,679	94,41,184
	कुल(च)	3,68,86,474	3,88,32,577
	मूल्यहास		
	वर्ष के लिये अवमूल्यन	18,59,60,550	19,49,89,623
670021	पूर्वावधि अवमूल्यन	6,97,629	12,03,210
	कुल (छ)	18,66,58,179	19,61,92,833
	कुल योग (क) से (छ)	3,55,87,46,115	3,74,67,09,103

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह
31 मार्च 2020 तक तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

विवरण		2019-20		2018-19	
क	निधियों के स्रोत				
	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता	19,10,32,261		19,10,32,261	
	न्यून : अनुदान प्रयुक्त	18,98,45,895	11,86,366	18,98,45,895	11,86,366
	कुल		11,86,366		11,86,366
ख	निधि का उपयोग				
	अचल सम्पत्ति				
	सकल ब्लॉक	18,98,45,895		18,98,45,895	
	कार्य प्रगति पर	0		0	
		18,98,45,895		18,98,45,895	
	न्यून : प्राप्त अनुदान	18,98,45,895	0	18,98,45,895	0
	चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम				
	क. चालू परिसम्पत्तियाँ:				
	(i) निवेश पर अर्जित ब्याज	18,88,895		22,53,891	
	(ii) डाक टिकट	0		351	
	(iii) विविध देनदार	1,24,40,267		83,23,441	
	(iv) नकद और बैंक में जमा राशि	4,76,87,706		3,81,12,281	
	ख. ऋण एवं अग्रिम	2,58,103		23,27,721	
	कुल	6,22,74,971		5,10,17,684	
न्यून: चालू देनदारियों और प्रावधानों	8,82,64,733		7,64,66,567		
निवल वर्तमान परिसम्पत्तियाँ		-2,59,89,762		-2,54,48,883	
लाभ और हानि लेखा (संचित घाटा)		2,71,76,127		2,66,35,249	
	कुल		11,86,366		11,86,366

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह
31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिये आय और व्यय लेखा

(राशि रुपये में)

राशि 2018-19	व्यय	राशि 2019-20	राशि 2018-19	आय	राशि 2019- 20
2,58,52,654	वेतन और अन्य लाभ	2,97,42,402	1,07,72,245	टोल संग्रह	98,70,301
22,80,361	बिजली प्रभार	22,92,425	20,35,002	बिजली प्रभार	21,35,174
29,51,934	सुरक्षा प्रभार	27,31,032	57,80,641	मत्स्य बाहरी-हस्तन प्रभार	52,99,868
14,78,623	जल प्रभार	12,77,522	69,64,450	भूमि पर लीज भाड़ा	1,13,91,045
16,96,756	मरम्मत और अनुरक्षण	31,31,701	40,62,831	भवन एवं जमीन भाड़ा	60,98,113
3,74,347	व्यावसायिक प्रभार	5,79,650	9,82,990	विविध प्राप्तियाँ	9,10,828
1,95,623	मुद्रण और लेखन सामग्री	2,12,929	19,66,070	स्लीपवे का लीज	20,15,181
1,12,020	विविध व्यय	48,551	11,03,761	जल प्रभार	9,99,628
48,288	यात्रा व्यय	45,237	8,18,170	लाइसेंसिंग एवं लाइसेंस शुल्क	6,19,858
5,38,568	पूर्व अवधि व्यय	16,91,930	5,70,019	मत्स्य अवतरण प्रभार	5,42,892
15,993	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	26,98,798	बैंक ब्याज	44,58,269
40,098	दूरभाष प्रभार	46,913	1,98,112	मत्स्य ग्रहण यानों का नामांकन	1,92,577
1,411	राजस्व एवं डाक टिकट	2,657	4,57,154	निवल घाटा	5,40,878
532	सेवा कर पर दण्ड	-			
28,23,036	सेवानिवृत्त फायदा के लिए प्रावधान	32,71,664			
3,84,10,243		4,50,74,613	3,84,10,243		4,50,74,613

ह/-

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट
कोचिन मात्स्यकीय बंदरगाह
31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिये प्राप्तियाँ और भुगतान

(राशि रुपये में)

राशि 2018-19	प्राप्तियाँ	राशि 2019-20	राशि 2018-19	भुगतान	राशि 2019-20
1,55,913	हाथ में आदि नकद	2,04,879	2,23,11,699	वेतन और पीएलआर	2,16,42,575
3,90,46,942	बैंक में आदि नकद	3,79,07,402	15,993	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-
1,98,112	मत्स्य ग्रहण यानों का पंजीकरण	1,92,577	48,288	यात्रा व्यय	29,915
8,18,170	लाइसेंसकरण एवं लाइसेंस शुल्क	6,19,858	1,95,623	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	1,91,383
47,34,352	भूमि पर लीज भाड़ा	89,58,183	1,726	राजस्व और डाक टिकट	2,306
40,68,268	भवन और जमीन भाड़ा	41,63,256	16,96,756	मरम्मत और अनुरक्षण	14,52,784
-	जलावतरण(स्लीपवे) का लीज	32,47,016	15,25,000	जमा काम के लिए सीओपीटी को अग्रिम	-
5,70,019	मत्स्य अवतरण प्रभार	5,42,892	6,13,293	एसडी/जमीन भाड़ा का प्रतिदाय	4,70,170
57,80,641	मत्स्य बाहरी हस्तन प्रभार	52,99,868	40,098	दूरभाष प्रभार	46,076
20,35,002	बिजली प्रभार	18,90,549	22,80,361	बिजली प्रभार	22,92,425
1,07,72,245	टोल संग्रह	98,70,301	14,78,623	जल प्रभार	12,77,522
6,95,862	विविध जमा/प्रतिभूति	6,55,377	14,632	चेक प्रभार	13,921
9,82,990	विविध प्राप्तियाँ	8,90,266	96,849	विविध व्यय	34,042
21,83,787	बैंक ब्याज	45,82,128	532	सेवा कर विलंब शुल्क पर दण्ड	-
1,12,130	टी डी एस देयिता	1,22,548	537	भुगतान सेवा कर	-
11,03,761	जल प्रभार	8,65,487	3,74,347	व्यावसायिक प्रभार	5,04,650
45,58,918	संग्रहित जी एस टी	62,38,913	29,51,934	सुरक्षा प्रभार	27,31,032
			55,748	पूर्व जमा भुगतान सेवा कर	-
			1,13,268	टी डी एस देयिता भुगतान	1,24,024
			12,574	प्राप्य टीडीएस	31,784
			-	पूर्वावधि व्यय	21,94,471
			52,29,494	जी एस टी भुगतान	48,68,747
			10,126	जी एस टी टीडीएस भुगतान	-
			6,37,331	जी एस टी सेवाट क्रेडिट	6,55,966
			2,04,879	इति नकद शेष	82,210
			3,79,07,402	इति बैंक शेष	4,76,05,496
7,78,17,112		8,62,51,500	7,78,17,112		8,62,51,500

ह/-
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

वार्षिक लेखा पर टिप्पणी 2019-20

भाग I-महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली के आधार पर आय और व्यय का हिसाब किया गया है।
2. आय का हिसाब करते समय रूढ़िवाद के सिद्धांत का पालन किया गया है।
3. अचल संपत्ति और वस्तुसूचियों का हिसाब ऐतिहासिक लागत विधि पर किया गया है।
4. जीवन काल के अंत में संपत्ति का मूल्य 1 रुपये मानकर सीधे तौर पर लेखा में अवमूल्यन प्रदान किया जाता है। संपत्ति का जीवन काल भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर तय किया जाता है। पूंजीकरण की तिथि से आनुपातिक रूप से अवमूल्यन का शुल्क लिया जाता है।
5. लागत के आधार पर लंबी अवधि के निवेश का मूल्यांकन किया जाता है। कम लागत या उचित मूल्य पर मौजूदा निवेशों का मूल्यांकन किया जाता है।
6. भूमि की लीज पर प्राप्त अग्रिम भुगतान संपूर्ण लीज अवधि पर लागू है।
7. भूमि की लीज पर प्रीमियम वित्त एवं विविध आय के तहत प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में स्वीकार जाता है।
8. पूर्व अवधि के मद, यानी, आय या व्यय जो वित्तीय विवरणों की तैयारी में त्रुटियों या चूक या बिलों में संशोधन के कारण या एक या अधिक पूर्व अवधि के दावे के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए हैं, को वित्त व विविध आय या वित्त व विविध व्यय के तहत शामिल किया गया है।
9. विभिन्न कोष में निवेश से प्राप्त आय को संबंधित कोष में जमा किया जाता है।
10. आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण लेखा के "अन्य नोट्स" किया जाता है।
11. विशिष्ट अचल संपत्तियों से संबंधित अनुदान में अंकित मूल्य पर पहुंचने से संबंधित परिसंपत्तियों के सकल मूल्य में कटौती के रूप में अनुदान को दर्शाते हुए तुलन पत्र में प्रस्तुत किया जाता है।
12. कार्गो और पोत संबंधित सेवाओं पर राजस्व को सेवा के पूरा होने पर स्वीकार किया जाता है। संपदा से राजस्व समय के आधार पर स्वीकार्य है।
13. निर्यात प्रोत्साहन तब स्वीकार्य है जब शर्तों को पूरा किए जाने और प्रोत्साहन प्राप्त होने का एक उचित आश्वासन हो।

14. मौजूदा कार्यों के लिए सभी नए कार्य या परिवर्धन/परिवर्तन या सभी नए संयंत्र या उपकरण या क्राफ्ट या प्रतिस्थापन जिसकी कीमत 1 लाख रुपये से अधिक न हो या जीवन काल पाँच वर्ष से अधिक न हो, से नए सामान्य कार्य के रूप में राजस्व शुल्क लिया जाता है।

भाग II- अन्य टिप्पणियाँ

15. वर्ष के दौरान जहां भी आवश्यक हो, मदों के परिणामी परिवर्तन के आधार पर तुलन पत्र के आंकड़े, पी एण्ड एल लेखा व अनुसूचियों को फिर से एकत्र किया गया है।

16. पोर्ट का निष्पादन

कोचिन पोर्ट वर्ष 2018-19 में 32.02 एमएमटी की तुलना में वर्ष 2019-20 में 34.04 एमएमटी कार्गो हस्तन किए। वर्ष 2019-20 में पोर्ट से 1589 जहाजों का निर्गम हुआ जब की 2018-19 में यह 1608 था। पोर्ट ने वर्ष 2018-19 के 5,94,592 टीईयू की तुलना में वर्ष 2019-20 में 6,20,061 टीईयू कंटेनरों का हस्तन किया है।

17. अनुदान सहायता:

ए) पोर्ट द्वारा प्राप्त अनुदान सहायता का विवरण, किए गए व्यय एवं उस पर ब्याज को तुलनपत्र के "उप अनुसूची सी" के रूप में दर्शाया गया है।

बी) विभिन्न मंत्रालयों से पोर्ट द्वारा प्राप्त अनुदान को राष्ट्रीयकृत बैंकों में मियादी जमा के रूप में रखा जाता है और आवश्यकता नुसार उसका नकदीकरण किया जाता है। इस तरह के निवेश से प्राप्त ब्याज को संबंधित अनुदानों में जमा किया जाता है।

सी) वाणिज्य मंत्रालय ने वर्ष 2013 में एमयूएलटी परियोजना के एक अंश के रूप में एएसआईडीई योजना के अंतर्गत पुत्तुवाईपीन में बार्ज बर्थ के निर्माण के लिए 31.92 करोड़ रुपये की कुल प्राक्कलित लागत से 15 करोड़ रुपये मंजूर किया था। इसके एवज़ में पोर्ट ने दि.05.08.2013 को 7.50 करोड़ रुपये एवं दि.30.03.2017 को 0.88 करोड़ रुपये प्राप्त किया था। मार्च, 2018 में मंत्रालय के अनुदेश के अनुसार इस अनुदान पर अर्जित 1.40 करोड़ रुपये के ब्याज को अनुदान खाते में डाला गया था। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने 'सीएफएस का सुधार' मूल परियोजना यानी कोचिन पोर्ट में बंकर हस्तन हेतु बार्ज बर्थ के निर्माण जिसकी लागत सीओपीटी के अंकित मूल्य के अनुसार 0.70 लाख रुपये है, परियोजना से अप्रयुक्त शेष के उपयोग को भी मंजूरी दी थी । 31.03.2020 तक परियोजना के लिए कुल व्यय 36.16 करोड़ रुपये है जिसमें से 50% यानी 18.08 करोड़ रुपये को प्राप्त ब्याज सहित 10.48 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता में समायोजित किया गया है। पोर्ट ने "निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस) या "सागरमाला" योजनाओं के तहत शेष निधि के लिए प्रयास किया। हालांकि, मंत्रालय ने पोर्ट ट्रस्ट को सूचित किया कि इन योजनाओं में से किसी के तहत बार्ज बर्थ परियोजना हेतु वित्तपोषण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

चूंकि लेखा परीक्षा के सुझावों के अनुसार इस परियोजना के खिलाफ अनुदान बढ़ाने की संभावना बहुत क्षीण है, वर्ष 2019-20 के दौरान परियोजना में 7.60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत को पूंजीगत कार्य प्रगति में स्थानांतरित कर दिया गया है। अतः 31.03.2020 तक पूंजीगत कार्य जो प्रगति पर है में मूल परियोजना के लिए कुल व्यय 26.40 करोड़ रुपये दर्शाए गए हैं। चूंकि यह अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है 2019-20 के दौरान इसे पूंजीकृत नहीं किया गया है।

18. भारत सरकार से लिया गया ऋण

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 24 अगस्त 2016 को हुई बैठक में सीओपीटी द्वारा प्राप्त भारत सरकार के ऋण पर जुर्माना ब्याज की छूट और 31.03.2016 तक 0.25% के दर से मूलधन, ब्याज और जुर्माना ब्याज के कारण देयता को फ्रीज़ करने एवं 2018-19 से शुरू होने वाले अगले 10 वर्षों में जमे हुए राशि के पुनर्भुगतान का समय निर्धारण करने संबंधी सीओपीटी के प्रस्तावों को अनुमोदन किया।

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के रिकॉर्ड के अनुसार 31.03.2016 तक भारत सरकार के ऋण की अंतिम देयता 558.53 करोड़ रुपये है। अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार पोर्ट ने मार्च 2019 और मार्च 2020 में प्रत्येक के लिए 55.85 करोड़ रुपये की पहली और दूसरी किस्त का भुगतान किया है।

19. डच ऋण

इंडो डच द्विपक्षीय समन्वय कार्यक्रम 1991-2001 के तहत कोचिन पोर्ट ने पोर्ट ट्रेजर-नेहरू शताब्दी के लिए पुर्जों की खरीद के लिए 29.05.1996 को एनएलजी से 181,042.50 की वित्तीय सहायता प्राप्त किया था। बंदरगाह ने 20.11.1996 को तत्कालीन प्रचलित विदेशी विनिमय दर पर 37 ,21,057 रुपये का भुगतान किया था।

हालांकि, डच लोन की ओर पोर्ट द्वारा किए गए 37 ,21,057 रुपये के पुनर्भुगतान को मंत्रालय ने एडीबी लोन की बकाया राशि 66 ,39,257 के खिलाफ समायोजित किया था , जिसे क्यू 8 और क्यू 9 बर्थ पर पूर्ण रूप से विकसित कंटेनर टर्मिनल के लिए लिया गया था। इसके बाद, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अगर यह राशि एडीबी लोन या डच लोन में समायोजित हो जाती है तो यह अनावश्यक होगा एवं जैसा कि सरकार लेखापरीक्षा द्वारा इस पर आपत्ति की जा रही थी , पोर्ट को डच लोन की मूल राशि 36,47,749 रुपये को उनकी उचंती खाते में जमा करने का अनुरोध किया। पोर्ट ने 16.08.2018 को हुई बैठक में बोर्ड की मंजूरी के साथ सितंबर 2018 में 36 ,47,749 रुपये की ऋण राशि का भुगतान किया।

20. **पूँजीकरण:**

वर्ष 2019-20 के दौरान 3.62 करोड़ रुपये की संपत्ति का पूँजीकरण किया गया है। 28.23 करोड़ रुपये राशि के साथ 31.03.2020 तक पूँजीगत कार्य प्रगति पर है।

21. **प्रावधान:**

ए) 2019-20 के दौरान, श्रेणी III और IV कर्मचारियों का वेतन संशोधन 29.94 करोड़ रुपये है एवं और श्रेणी I और II के अधिकारियों को विशेष वेतन बकाया की अंतिम किस्त 3.29 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वित्त और विविध आय के लिए 3.73 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रावधान अंकित किया गया है।

बी) 2019-20 के दौरान श्रेणी III और IV कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी बकाया राशि 4.47 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया गया।

सी) वर्ष 2019-20, जनवरी, 2020 तक श्रेणी I और II के वेतन संशोधन बकाया के लिए 3.92 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

डी) खातों में संदिग्ध ऋणों के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

22. **निगम सामाजिक उत्तरदायित्व**

ए) पोत परिवहन मंत्रालय ने सभी महापत्तनों के लिए अपने पत्र दि.पीडी-12019/1/2020-पीडी-वीआई-(समन्वय)दि. 4 मार्च 2020 में निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किया है।

बी) उपर्युक्त दिशानिर्देश के अनुसार, यदि पिछले वित्तीय वर्ष का शुद्ध लाभ 100 करोड़ से कम है तो इस तरह के निवल लाभ से सीएसआर व्यय 3% से 5% होगा। तदनुसार, पोर्ट ने 2019-20 के दौरान 50.69 लाख रुपये का प्रावधान किया है:

विवरण	राशि
निवल लाभ 2017-18	13,54,71,738
निवल लाभ 2018-19	19,18,44,406
कुल निवल लाभ	32,73,16,144
सीएसआर देयता @ 3% से ऊपर	98,19,484
2018-19 एवं 2019-20 के दौरान सीएसआर पर किए गए व्यय	
ए) संकट राहत कोष में योगदान	31,05,938
बी) बाढ़ राहत सामग्री के हस्तन व भंडारण के लिए पोर्ट शुल्क में छूट	1,44,762
सी) केरल ललित कला समाज में योगदान	15,00,000
2019-20 तक कुल व्यय	47,50,700
सीएसआर देयता की शेष राशि जिसके लिए प्रावधान 2019-20 में बनाया गया है	50,68,784

23. सेवा शुल्क

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने एस्टेट किराया, जेटी पर किराया, लाइसेंस शुल्क, अग्रिम भुगतान, मैसर्स आईजीटीपीएल से रॉयल्टी पर दी गई सेवाएँ, और सेनवैट क्रेडिट, अयोग्य सेनवैट क्रेडिट, सुरक्षा सेवाओं के लिए सीआईएसएफ आनुपातिक शुल्क, कानूनी शुल्क, एमपीएसओ चालान पर सेवा कर का गैर-भुगतान, निर्णीत हर्जाना आदि पर दी गई सेवाओं पर सेवा शुल्क के गैर संग्रहण के लिए कुल 70.57 करोड़ रुपये का दावा करते हुए 28 कारण बताओं नोटिस जारी किया है। कानूनी राय के आधार पर, पोर्ट ट्रस्ट ने अपील दायर की है और सभी मामले उचित प्राधिकरण/न्यायाधिकरण/केरल के उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं।

24. आय कर

ए) मूल्यांकन वर्ष 2017-18 तक आयकर आकलन पूरा हो गया है। मूल्यांकन वर्ष 2017-18 के लिए मूल्यांकन आदेश 26.12.2019 को जारी किया गया था एवं 29.10.2019 को 3.67 करोड़ रुपये का प्रतिदेय प्राप्त किया गया। 5.60 करोड़ रुपये की शेष राशि वापस की जानी है।
बी) माननीय आईटीएटी के आदेशानुसार पोर्ट ने मूल्यांकन वर्ष 2007-08 के लिए पहले के मूल्यांकन वर्षों की आय के अतिरिक्त आवेदन पर विचार करने के लिए सुधार याचिका दायर किया है जो क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी के पास लंबित है।
सी) पैन में बदलाव के कारण मूल्यांकन वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक टीडीएस का प्रतिदेय के रूप में पोर्ट ने मूल्यांकन वर्ष 2014-15 के लिए 20.11.2019 को 8.62 करोड़ रुपये का प्रतिदेय प्राप्त किया एवं शेष वर्षों का प्रतिदेय अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।
डी) मूल्यांकन वर्ष 2018-19 के लिए धारा 143(1) के तहत सूचना प्राप्त हुआ, जिससे ब्याज सहित 10.16 करोड़ रुपये के टीडीएस के प्रतिदेय होना है।

25. आस्थगित कर

आय एएस-22 पर करों के लिए लेखांकन पर लेखा मानक के संदर्भ में भविष्य में कर योग्य मुनाफे की आभासी/उचित निश्चितता के अभाव में खातों में आस्थगित कर संपदा (नेट) को स्वीकार नहीं किया गया है।

26. आर्बीट्रेशन व कानूनी कार्यवाही

ए) मेसर्स.पेट्रोनेट एलएनजी के साथ लीज भाड़ा पर लंबे समय से विवाद 2010 से लंबित है जिसे बैठकें और मध्यस्थता की एक श्रृंखला के बाद हल किया जा सकता है, जिसे कोर्ट के आदेश दिनांक 29.01.2020 के माध्यम से अनुमोदित किया गया। तदनुसार, पीएलएल ने 25.02.2020 को 148.69 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जिसमें जिसमें 01.04.2019 से 11.02.2039 तक का 100.22 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान, 11.07.2010 से 31.03.2019 तक 52.31 करोड़ रुपये का अदत्त बकाया लीज भाड़ा, 15.62 करोड़ रुपये के ड्रेजिंग अग्रिम एवं पीएलएल को प्रतिदेय प्रतिभुति जमा के रूप में 6.71 करोड़ रुपये के समायोजन के बाद उस पर 18.49 करोड़ रुपये का ब्याज भी शामिल है। पेंशन फंड की देयता में अंतर को कम करने के लिए इसका उपयोग किया गया है।

बी) मेसर्स आईजीटीपीएल ने आर्बिट्रल ट्रीब्यूनल के समक्ष 300 करोड़ रुपये का दावा दायर किया है, जवाब में पोर्ट ने में 1070.71 करोड़ रुपये का जवाबी दावा किया है जिसमें, पूंजीगत व अनुरक्षण ड्रेजिंग कार्य, पोत संबंधी प्रभारों में झूट के कारण नुकसान, सुविधाओं के उपयोग के कारण राजस्व हिस्सेदारी का नुकसान, आईसीटीटी में सीआईएसएफ की तैनाती की लागत एवं 01.04.2005 से 28.02.2011 तक आजीटीपीएल में प्रतिनियुक्त पोर्ट कर्मचारियों के संबंध में अवकाश वेतन और ग्रेच्युटी योगदान की प्रतिपूर्ति आदि शामिल है। 12.05.2017 को आर्बिट्रल ट्रीब्यूनल ने आर्डर पारित किया। लाइसेंस अवधि शुरू होने की तिथि संबंधी मामला आईजीटीपीएल के पक्ष में गया। आईसीटीटी में सीआईएसएफ की तैनाती संबंधी लागत और अवकाश वेतन, पेंशन व ग्रेच्युटी योगदान की प्रतिपूर्ति के मुद्दे के संबंध में, न्यायाधिकरण ने कहा कि आईजीटीपीएल को लागत वहन करना है, लेकिन भुगतान की जाने वाली राशि को विनिर्दिष्ट नहीं किया है। आर्बिट्रल ट्रीब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि पार्टियों को दावेदार द्वारा भुगतानयोग्य राशि को तय करना होगा और यह सुलह आपस में मिलकर करना होगा। भारत के अटॉर्नी जनरल के विशेषज्ञ की राय के आधार पर सीओपीटी ने आर्बिट्रल ट्रीब्यूनल द्वारा दिनांक 16.05.2017 को पारित आर्डर के खिलाफ जिला न्यायालय, एरणाकुलम में 12.05.2017 को याचिका दायर की। 12.05.2017 को पारित आर्बिट्रल आर्डर को चुनौती देते ओपी (आर्बि) सं.866-2017 लंबित है।

सी) मेसर्स जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि., जो “वर्ष 2007-08 के लिए कोचिन पोर्ट में चैनलों के अनुरक्षण हेतु ड्रेजिंग कार्य” के अनुबंध को कार्यान्वित किया था, ने अनुबंध में आर्बिट्रेशन खण्ड को शुरू किया एवं 3.51 करोड़ रुपये का दावा किया। आर्बिट्रल ट्रीब्यूनल ने 15.05.2013 को पारित आर्बिट्रेशन आर्डर में कोचिन पोर्ट को दावे की तिथि(19.04.2012) से आर्डर पारित होने की तिथि तक सालाना 9% ब्याज दर के साथ मेसर्स जैशु शिपिंग कंपनी को 0.87 करोड़ रुपये एवं उसी दर में भुगतान होने की थिति तक भुगतान करने का निर्देश दिया। इस आर्डर से असंतुष्ट कोचिन पोर्ट ने 15.05.2013 को एरणाकुलम के माननीय जिला न्यायालय में आर्बिट्रेशन व सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत आर्बिट्रेशन आर्डर को चुनौती दी। माननीय जिला न्यायालय ने अपने आदेश दि.31.01.2020 के अनुसार ओ.पी.(आर्बि) सं.512/2013 को खारिज किया, जो पोर्ट को 29.02.2020 को प्राप्त हुआ। पोर्ट ने 03.03.2020 को विधि सलाहकार मेसर्स जोसफ एण्ड कुरियन से इस आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के अवसर के संबंध में कानूनी राय मांगी। विधि सलाहकार की राय अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। डी) अनुबंध संख्या 52 वर्ष 2008-09 के अंतर्गत 01.09.2008 से 31.12.2010 तक कोचिन पोर्ट के अनुरक्षण ड्रेजिंग एवं 14.50 मीटर ड्राफ्ट कंटेनर जहाजों के लिए यथा अपेक्षित गहराई प्रदान करने हेतु आईसीटीटी बर्थ बेसिन एवं आप्रोच चैनल के पूंजीगत ड्रेजिंग के लिए अनुबंध मेसर्स जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि. को सौंपा गया था, जो प्रदेय प्रदान करने में असफल रहा जिसके कारण पोर्ट द्वारा भुगतान

को रोक दिया गया। जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि. द्वारा प्रस्तुत 19.25 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को 2011-12 में नकदीकरण किया गया। पार्टी ने इसके बाद अनुबंध में आर्बिट्रेशन क्लॉज लागू किया। केरल के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि. ने पुनर्गठित आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष उनके द्वारा लगाए गए सभी अतिरिक्त दावों के साथ 795 करोड़ रुपये की संशोधित दावा प्रस्तुत किया है जिसके लिए सीओपीटी ने अपने बचाव में बयान प्रस्तुत किया है। जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि.ने पहले से किए गए काम के लिए अंतिम बिल के भुगतान , सुरक्षा जमा की जारी व प्रतिदेय, प्रतिधारण राशि एवं नकदीकृत निष्पादन गारंटी के भुगतान का भी दावा किया है। पोर्ट ने 332 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा दावेदार की दलीलें ने सुनवाई की गई। चूंकि जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि. ने कई सुनवाई के लिए आर्बिट्रटर की फीस के भुगतान में चूक किया है , उनके द्वारा प्रस्तुत दावों की कार्यवाही को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने समाप्त कर दिया और उसके बाद केवल सीओपीटी के जबावी दावा की सुनवाई की जाएगी।

चूंकि आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है अनुरक्षण ड्रेजिंग के लिए जनवरी 2011 एवं मार्च 2011 के लिए 3.69 करोड़ रुपये की बिल को पास नहीं किया गया है।

ई) वोलवो ओसन रेस के लिए मेसर्स जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि. से सालाना 12 % ब्याज के साथ 2.98 करोड़ रुपये की देय प्रायोजक शुल्क संबंधी मामला 26.09.2013 को कोचिन पोर्ट के पक्ष में गया है। पोर्ट द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार सीओपीटी डिक्री की तारीख से 12 साल के भीतर राशि की वसूली के लिए निष्पादन याचिका दायर कर सकता है। हाँलाकि मेसर्स जैशु शिपिंग कं.प्रा.लि के स्वामित्वाधीन संपदाओं के लिए जिसमें संलग्न किए जाने के लिए कोई बाधा नहीं है की पहचान की जानी है और अन्य सिविल प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना है।

एफ) मेसर्स जखाउ साल्ट कंपनी प्रा.लि. द्वारा मट्टांचेरी वार्फ़ के पतन के कारण 1.47 करोड़ रुपये की माल के नुकसान के लिए मुकदमा दायर किया गया था जो पोर्ट के खिलाफ़ गया। पोर्ट ने केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है, जो अभी भी लंबित है। मामले को 26.09.2019 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया परन्तु सुनवाई के लिए नहीं लिया गया। नियत समय पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की संभावना है।

जी) कोचिन पोर्ट ट्रस्ट में 110 केवी सब-स्टेशन और तत्संबंधी कार्यों की स्थापना और कमीशनिंग कार्य 16.03007 को मेसर्स सीमेंस लिमिटेड , चेन्नई को दी गई और मेसर्स सीमेंस लिमिटेड को समझौते के अनुसार 12 महीने की अवधि में इस कार्य को पूरा करना था। चूंकि काम पूरा करने में 9 महीने की देरी हुई, इसलिए समझौते के अनुसार अंतिम भुगतान करते समय , 1.76 करोड़ रुपये निर्णीत हर्जाना की कटौती की गई। आर्बिट्रेशन आवर्ड पोर्ट के खिलाफ़ था और इसलिए पोर्ट ने माननीय जिला न्यायालय ,

एरणाकुलम के समक्ष आवर्ड के खिलाफ अपील की। सुनवाई चालू है। पिछली सुनवाई 17.03.2020 को हुई। 26.05.2020 को अगली सुनवाई होनी है।

एच) सीओपीटी ने दो 45 टन बोलाई पुल टॉग के निर्माण और वितरण के लिए मेसर्स टीबमा शिपयार्ड लिमिटेड, चेन्नई के साथ क अनुबंध किया है। चूंकि टॉगों की डिलीवरी में देरी हो रही थी सीओपीटी ने ठेकेदार से 8.09 करोड़ रुपये की निर्णीत हर्जाना की वसूली किया। उन्होंने सीओपीटी के उपरोक्त निर्णय पर आपत्ति जताई और मामला आर्बिट्रेशन के लिए भेजा गया। ठेकेदार के दावे को खारिज करते हुए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने 10.09.2013 को एक आवर्ड पारित किया और सीओपीटी के 8.09 करोड़ रुपये की राशि को बरकरार रखने के दावे को सही ठहराया गया था। इसके बाद मेसर्स टीबमा शिपयार्ड लिमिटेड ने ब्याज के साथ 8.09 करोड़ रुपये की निर्णीत हर्जाना जारी करने हेतु निर्देश देने एवं आवर्ड को निरस्त करने के अनुरोध के साथ माननीय जिला न्यायालय, एरणाकुलम के समक्ष 21.12.2013 को अपील दायर किया। सीओपीटी ने मेसर्स टीबमा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के बयान पर आपत्तियां दर्ज कीं। न्यायालय की कार्यवाही जारी है। पिछली सुनवाई 10.03.2020 को हुई एवं अगली सुनवाई 22.06.2020 को तय की गई है।

आई) पोर्ट ने मेसर्स टीबमा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई टॉगों में पाई गई कमियों को ठीक करने के लिए पोर्ट द्वारा खर्च किए गए राशि को 15 % ब्याज दर के साथ 1.05 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कोच्ची के माननीय उप न्यायालय के समक्ष मेसर्स टीबमा शिपयार्ड लिमिटेड के विरुद्ध 28.03.2014 को एक सिविल मामला दायर किया है। उन्होंने माननीय उप न्यायालय के समक्ष अनुबंध दिनांक 05.10.2006 के खंड 45.0 के संदर्भ में यथा निर्धारित मामले को आर्बिट्रेशन के लिए प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देने के अनुरोध के साथ 06.02.2015 को एक हलफनामा दायर किया है। न्यायालय ने मामले को आर्बिट्रेशन के लिए संदर्भित करने का निर्देश दिया था और दोनों पक्षों ने आर्बिट्रर नियुक्त किए हैं। हालांकि, मेसर्स टीबमा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नामित आर्बिट्रर ने मेसर्स टीबमा शिपयार्ड को सूचित किया कि वह उपरोक्त विवाद में आर्बिट्रर के रूप में कार्य करने की स्थिति में नहीं है। तदनुसार, 29.03.2019 को मेसर्स टीबमा शिपयार्ड लिमिटेड को एक अन्य आर्बिट्रर को आर्बिट्रेशन पैनल में नामित करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। जैसा कि मेसर्स टीबमा शिपयार्ड लिमिटेड का जवाब जो अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इस मामले को पोर्ट के कानूनी सलाहकार के साथ लिया जा रहा है।

जे) विभिन्न ग्राहकों के खिलाफ 75 दिनों (लगभग 1.58 करोड़ रुपये) से अधिक संग्रहित अतिरिक्त जमीन के किराए के प्रतिदाय संबंधी केरल के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास मामले लंबित हैं। मामले को सर्वोच्च न्यायालय में 18.04.2017 को सुनवाई के लिए तय किया गया एवं और मामला 03.05.2017 तक स्थगित कर दिया गया। इसके बाद, एसएलपी को न्यायालय ने 12, 13 और 14 सितंबर 2017 को लिया। दलीलों की सुनवाई के बाद खण्डपीठ ने इस मामले को 3 न्यायाधीशों के बड़े खण्डपीठ के पास भेज दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को अंतिम रूप से मद संख्या 101 के रूप में मंगलवार, 17 मार्च 2020 को सूचीबद्ध किया था लेकिन कोविड-महामारी के कारण इसे नहीं लिया गया। इसके बाद विधि सलाहकार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय लॉकडाउन के परिणामस्वरूप वीडियोकांफ्रेंसिंग पर केवल अत्यंत आवश्यक मामलों की सुनवाई कर रहा है और इसलिए हमारे मामले को सूचीबद्ध नहीं किया गया है और अदालतों में सामान्य कामकाज फिर से शुरू होने तक सूचीबद्ध होने की संभावना नहीं है। के) सीओपीटी ने उप न्यायालय, कोच्ची में पुत्तुवाईपीन में एसईजेड क्षेत्र को सीधी सड़क संयोजकता प्रदान परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में निष्पादकों/दावेदारों द्वारा निष्पादित निष्पादन याचिका में सशर्त स्थगन आदेश के लिए डिक्री ऋण का 50% यानि 1.07 करोड़ रुपये अग्रिम जमा किया है। शेष राशि का प्रेषण अंतिम निर्णय के अधीन है। पुत्तुवाईपीन एसईजेड के सह-डेवलपर्स यानि पीएलएल, बीपीसीएल-केआर और आईओसीएल से सीओपीटी द्वारा अग्रिम जमा 50% राशि में उनके हिस्से की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया गया था एवं सभी तीन सह-डेवलपर्स ने अपने हिस्से की 26.97 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की है।

एल) मेसर्स लॉट्स शिपिंग लि. ने निविदा में अनुमानित मात्रा, चार्टर लागत/प्रतिदिन, कर्मचारियों के अनुरक्षण की लागत, करों और प्रभारों का भुगतान, लगातार मरम्मत की लागत और लाभ की हानि की तुलना में कम औसत दैनिक मात्रा के नुकसान के लिए 14.346 करोड़ रुपये का दावा करते हुते विल्लिंगडन आईलैण्ड एवं बोलघाटी के बीच रो-रो/लो-लो बार्ज सेवा के परिचालन के संबंध में सीओपीटी के विरुद्ध आर्बिट्रेशन शुरू किया है। अनुबंध शर्तों के अनुसार मेसर्स लॉट्स शिपिंग लिमिटेड की ओर से डिफॉल्ट/देय राशि के आधार पर सीओपीटी ने व्यापार हानि, टर्मिनल उपयोग शुल्क का भुगतान न करने, पार्किंग शुल्क, क्षतिपूर्ति आदि के लिए 15.905 करोड़ रुपये का जवाबी दावा उठाया है। दि.26.09.2019 को पारित आर्बिट्रेशन आवर्ड के अनुसार मेसर्स लॉट्स शिपिंग (दावेदार)को आवर्ड की तिथि से प्राप्ति तक सीओपीटी (प्रतिवादी) से 9% ब्याज के साथ 57,99,411/- रुपये वसूल करने का आवर्ड प्राप्त हुआ है। सीओपीटी द्वारा लगाए गए सभी जवाबी दावों को अस्वीकार कर दिया गया है। सीओपीटी ने जिला न्यायालय, एरणाकुलम में आर्बिट्रेशन व सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन दायर किया जो लंबित है।

एम) सीओपीटी ने आजीटीपीएल के विरुद्ध उनके द्वारा वल्लारपाडम एसईजेड में लागत वसूली शुल्क (सीआरसी) की प्रतिपूर्ति न करने के विवाद में आर्बिट्रेशन शुरू किया। ट्रिब्यूनल ने दिनांक 31/01/2005 की लाइसेंस समझौते की व्याख्या के रूप में सीआरसी की प्रतिपूर्ति या भुगतान करने

आईजीटीपीएल पर 50% देयता के विष्कर्ष परिणाम को ध्यान में रखते हुए 27/05/2019 को अवर्ड पारित किया एवं डिमांड ड्राफ्ट (डीडी की तारीख) की संबंधित तिथियों से की गई गिनती के अनुसार सालाना 6 % ब्याज दर के साथ आईजीटीपीएल द्वारा सीओपीटी को देय जुलाई 2011 से जनवरी 2018 की अवधि के लिए आधे दावों की अनुमति दी। तदनुसार, अवर्ड के अनुसार आईजीटीपीएल पर 2017-18 (I एण्ड II आधा) और 2018-19 (I एण्ड II आधा) के बकाया रे रूप में 44,19,400 /-रुपये के 50% के साथ 1, 31,25,975/- रुपये जमा करने का दावा उठाया गया था। आईजीटीपीएल ने अवार्ड का सम्मान किया और सीओपीटी द्वारा दावा की गई राशि 09/08/2019 को जमा किया।

एन) कोचिन पोर्ट ट्रस्ट ने 3 महीने की पूर्णता अवधि के साथ रु.16,77,000/- के कुल अनुबंध मूल्य पर 02.07.2012 को " कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह में 3 , 20 मीटर हाई मास्ट लाइटिंग सिस्टम की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशन के लिए " मैसर्स एंबीगोला एक्सपोर्टर्स , बेंगलूरु को कार्यादेश जारी किया था। परन्तु ठेकेदार द्वारा काम पूरा करने में पांच महीने की देरी हुई थी। फर्म द्वारा प्रस्तुत अंतिम बिल से रु.5,02,278/- कटौती की गई जिसमें एलडी, केबुल ट्रेचेस के पुनःस्थापन प्रभार एवं जेसीबी का उपयोग कर फाउण्डेशन पीट की भराई आदि के लिए क्रमशःरु.1,59,825/-, रु.3,40,578/- एवं रु.1875/- शामिल हैं। मेसर्स एंबीगोला एक्सपोर्टर्स ने कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के खिलाफ माननीय मुंसिफ कोर्ट, कोच्चि के समक्ष मामला दायर किया। कोर्ट का फैसला प्लांटिफ़ मेसर्स एंबीगोला प्लेंटिफ के पक्ष में गया , कोर्ट ने सालाना 6 % ब्याज के साथ मेसर्स एंबीगोला एक्सपोर्टर्स को रु.5,16,708/- देने को निर्देश दिया। 15.03.2019 को माननीय मुंसिफ कोर्ट द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ माननीय जिला न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई है। पिछली सुनवाई 09/03/2020 को हुई। इस मामले को निचली अदालत के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए 18/07/2020 को तय किया गया है।

ओ) "विल्लिंगडन आईलैण्ड के विभिन्न स्थानों पर हाल्ट क्षेत्र में यूजी टैंकों से 200 मिमी नमनीय लोहे की पंपिंग लाइन प्रदान करना और इसके बाद सड़क सुधार कार्य" के लिए 1.91 करोड़ रुपये के कार्यादेश मूल्य के साथ 12.05.2015 को मेसर्स ईस्ट इंडिया इंजीनियर्स को सौंपा गया। रेलवे प्राधिकारियों से लंबित अनुमोदन के कारण 3 रेलवे क्रॉसिंग को छोड़कर ठेकेदार ने पाइप लाइनिंग का काम पूरा कर लिया , लेकिन सड़क सुधार कार्य पूरा नहीं हुआ। ठेकेदार ने रिटेंशन मनी जारी करने , सड़क सुधार कार्य निष्पादित करने के लिए संशोधित दरों और विषय के काम के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने के बारे में कुछ मुद्दे उठाए। ठेकेदार ने प्रतिधारण राशि जारी करने , सड़क सुधार कार्य निष्पादित करने के लिए संशोधित दरें और मूल कार्य के लिए एकमात्र आर्बिट्रेटर नियुक्त करने संबंधी कुछ मुद्दे उठाए। एकल आर्बिट्रेटर द्वारा जारी अंतिम आदेश के अनुसार ठेकेदार 74.59 लाख रुपये के दावे का योग्य है एवं पोर्ट 18.48 लाख रुपये के दावे का योग्य है। पोर्ट ने माननीय जिला न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती दी है।

पी) "वर्ष 2017-18 के लिए कोचिन पोर्ट में चैनलों और बेसिनों के अनुरक्षण के लिए ड्रेजिंग" कार्य 88.511 करोड़ रुपये की लागत पर मेसर्स डीसीआईएल को सौंपा गया। अनुबंध में दो भाग शामिल हैं, जैसे कि (i) भाग-ए-एकमुश्त आधार- 75.041 करोड़ रुपये एवं (ii) भाग-बी-आवश्यकता/मात्रा आधार-13.47 करोड़ रुपये। अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को अनुबंध अवधि के दौरान अनुबंध के एकमुश्त भाग के तहत आने वाले पूरी चैनल में (-) 15.90 मीटर की गहराई बनाए रखना है। डीसीआई द्वारा यह बताया गया कि पूर्व ड्रेज सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 8 मिलियन क्यूबीक मीटर की बैक लॉग मात्रा थी जिसे (-) 15.90 m की गहराई प्राप्त करने के लिए हटाया जाना है और काम शुरू करने की तिथि से पूर्ण गहराई बनाने के लिए दी गई समय अवधि 2 माह है। डीसीआई ने उन्हें बिना किसी जुर्माना के अनुबंध को पूरा करने तक उन्हें सौंपे गए चैनल और बेसिन बनाए रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। जैसा कि डीसीआई के दावे समझौते की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं, सीओपीटी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है।

न्यासीमण्डल ने 2 माह की स्वीकार्य अवधि के बाद अनुबंध के एकमुश्त हिस्से के तहत आने वाले चैनलों में गहराई से भारी कमी को देखते हुए संकल्प संख्या 127 (कार्यसूची मद सं.बी4) में निम्नलिखित को अनुमोदन करने का संकल्प लिया, (ए) कार्यसूची मद संख्या बी 4 में एएमआरसीडी के माध्यम से विवादों को निपटाने के मद्देनजर 19-02-2018 के पूर्व किए गए सर्वेक्षण के आधार पर मेसर्स डीसीआई के साथ चल रहे अनुबंध को जारी रखना एवं (बी) जब तक विवादों को एएमआरसीडी के माध्यम से हल नहीं किया जाता है निष्पादित कार्य के लिए मई 2018 से डीसीआई के मासिक बिलों के खिलाफ भुगतान जारी करना, जैसे कि: (i) भाग ए एकमुश्त आधार के तहत सकल बिल राशि के लिए 75%की दर से ;(ii) भाग बी-आवश्यकता/मात्रा आधार के तहत किए गए कार्य के लिए पूर्ण भुगतान ; (iii) गहराई और चौड़ाई में कमी के कारण गैर प्रदर्शन के लिए वसूली को छोड़कर, अनुबंध के निष्पादन के लिए डीसीआई द्वारा प्राप्त सेवाओं के लिए शुल्क वसूल करना और समझौते की शर्तों के अनुसार अन्य वसूलियाँ, एवं (iv) ड्रेजिंग समिति द्वारा यथा अनुशंसित ऊपर दिए गए भुगतान के आधार पर ईंधन मूल्य भिन्नता भुगतान को प्रभावित करने । तदनुसार, मई 2018 की अवधि के लिए डीसीआई द्वारा उठाए गए बिलों का भुगतान किया गया।

बोर्ड संकल्प संख्या 197 दि. 20.02.2020 के अनुमोदन के साथ 11.10.2019 को आयोजित अपनी अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के दौरान मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सीओपीटी के पत्र दि.06.03.2020 में मूल्य कार्य के संबंध में विवादों के निपटान हेतु आईआईटी, मद्रास के महासागर अभियंत्रण विभाग के प्रोफेसर आर. सुंदरवधिवेलु को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी इस संबंध में बैठक होना बाकी है।

(क्यू) आईओसीएल के जमा कार्य के लिए अनुबंध , “अनुबंध के आधार पर अभियंत्रण, खरीद एवं निर्माणपर पुत्तुवाईपीन, कोचिन पोर्ट में बहु-प्रयोक्ता द्रव्य टर्मिनल” भाग:ए- समझौता संख्या 16, वर्ष 2015-16 एवं समझौता संख्या 16, वर्ष 2015-16 के अनुपूरक समझौता के अधीन एमयूएलटी जेट्टी के अंतर्गत कार्य का अवसर मेसर्स आरकेईसी प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. को सौंपा गया था, जो विनिर्दिष्ट विस्तारित अनुबंध अवधि के भीतर काम पूरा नहीं कर सका। लिहाजा, निर्णीत हर्जाना वसूल किया गया। उन्होंने वसूल किए गए निर्णीत हर्जाना का प्रतिदेय , उपकरण के किराया शुल्क, श्रम के लिए अतिरिक्त शुल्क , बैंक गारंटी , मूल्य वृद्धि , विस्तारित अवधि के दौरान व्यापार की हानि , बोनस, विविधताओं के लिए अतिरिक्त भुगतान आदि के लिए रु.84,76,20,707.41 दावा करते हुए 27.04.20219 को आर्बिट्रेशन शुरू किया। आर्बिट्रेशन कार्यवाही प्रगति पर है।

आर) “अनुबंध के आधार पर अभियंत्रण, खरीद एवं निर्माणपर पुत्तुवाईपीन, कोचिन पोर्ट में बहु-प्रयोक्ता द्रव्य टर्मिनल” का निर्माण कार्य-भाग बी : बार्ज जेट्टी (2015-16 का समझौता संख्या 17 और 2015-16 का समझौता संख्या 17 के लिए अनुपूरक समझौता) के अंतर्गत कार्य मेसर्स आरकेईसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया था , जो विनिर्दिष्ट विस्तारित अनुबंध अवधि के भीतर काम पूरा नहीं कर सका। लिहाजा, निर्णीत हर्जाना वसूल किया गया। उन्होंने वसूल किए गए निर्णीत हर्जाना का प्रतिदेय , उपकरण के किराया शुल्क, श्रम के लिए अतिरिक्त शुल्क , बैंक गारंटी , मूल्य वृद्धि , विस्तारित अवधि के दौरान व्यापार की हानि, बोनस, विविधताओं के लिए अतिरिक्त भुगतान आदि के लिए रु.817,26,63,351.14 दावा करते हुए आर्बिट्रेशन शुरू किया। आर्बिट्रेशन कार्यवाही प्रगति पर है।

एस) मेसर्स जीपीटी जीओ(जेवी) ने “वल्लारपाडम में जीआईडीए ब्रीज संख्या 2 के सुधार समेत फ्लाईओवर व आरओबी के निर्माण” कार्य पूरा होने में देरी के कारण उनके विभिन्न शुल्कों के मुआवजे के लिए रु.11,73,77,950/- दावा करते हुए 3.10.2018 को आर्बिट्रेशन शुरू किया। 18.02.2020 को पहली सुनवाई संपन्न हुई एवं और दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए मील का पत्थर को अंतिम रूप दिया गया। अगली बैठक 22.06.2020 को तय की गई है।

27. सेवानिवृत्ति लाभ:

ए) 31.03.2020 के आंकड़ों के आधार पर एलआईसी द्वारा की गई देयता का बीमांकिक मूल्यांकन 3193.34 करोड़ रुपये है। पेंशनभोगियों और मौजूदा कर्मचारियों के लिए पेंशन की देयता क्रमशः 2074.32 करोड़ रुपये और 985.18 करोड़ रुपये है , जो कुल मिलाकर 3059.50 करोड़ रुपये है और मौजूदा कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी देयता लगभग 133.84 करोड़ रुपये है। इसके लिए, कोचिन पोर्ट

में 31.03.2020 को क्रमशः 328.25 करोड़ रुपये और पेंशन और ग्रेच्युटी फंड में 7.61 करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है। जो वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज को छोड़कर है, क्योंकि एलआईसी द्वारा 2019-20 के लिए ब्याज दरों को घोषित किया जाना बाकी है।

बी) श्रेणी I और II अधिकारियों के वेतन संशोधन एवं मासिक पेंशन और वेतन में वृद्धि व सितम्बर, 2019 से वार्षिकी की खरीद मूल्य में वृद्धि के कारण पेंशन देयता का बीमाकिक मूल्यांकन 31.03.2019 में रु.2774.26 करोड़ रुपये की तुलना में 31.03.2020 को रु.3193.34 करोड़ रुपये तक की वृद्धि हुई है।

सी) वर्ष 2019-20 के दौरान, मेसर्स पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड से लीज भाड़ा बकाया के एक बार निपटान के रूप में प्राप्त 148.69 करोड़ रुपये को पूर्ण रूप से एलआईसी के पेंशन कोष में स्थानान्तरित कर दिया गया है। 22.08.2015 को आयोजित कोचिन पोर्ट ट्रस्ट की बोर्ड बैठक के दौरान पेंशन फंड की खराब स्थिति को देखते हुए पेंशन फंड ट्रस्ट को पूर्ण रूप से भूमि की लीज पर प्राप्त प्रीमियम को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। 2019-20 के दौरान एलआईसी के पेंशन फंड में हस्तांतरित 157.78 करोड़ रुपये के कुल योगदान में भूमि की लीज से प्रीमियम के रूप में प्राप्त 4.20 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। आयकर नियमों के नियम 87 के तहत निर्धारित वार्षिक योगदान, 1962 से 20.15 करोड़ रुपये की राशि वित्त और विविध व्यय के तहत पेंशन निधि में योगदान के लिए ली गई थी।

28. अन्य प्रकटीकरण:

ए) रो-रो परिचालन के लिए आईडब्ल्यूआई के साथ संयुक्त उद्यम रो-रो टर्मिनल 25.02.2011 को परिचालन में आ। आईडब्ल्यूआई एवं सीओपीटी के बीच 08.10.2009 को बीई समझौता ज्ञापन के अनुसार बोलगाट्टी एवं विल्लिंगडन आईलैण्ड में रो-रो टर्मिनल के प्रबंधन व परिचालन दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के एक संयुक्त प्रबंधन समिति (जेएमसी) का गठन कर दोनों पक्ष यानि पोर्ट एवं आईडब्ल्यूआई द्वारा किया जाएगा। समझौता ज्ञापन के अनुसार, पोर्ट ठेकेदार से टर्मिनल शुल्क के संग्रह की व्यवस्था करेगा और टर्मिनलों के उपयोग से संबंधित सभी लेनदेन का वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करेगा। प्रशासनिक व्यय राजस्व से अर्जित किया जाएगा एवं सृजित शुद्ध अधिशेष के अनुपात 70% आईडब्ल्यूआई और 30% सीओपीटी में साझा किया जाएगा। ठेकेदार से टर्मिनल उपयोग शुल्क के रूप में प्राप्त राशि का भुगतान करने हेतु जेएमसी के नाम से एक अलग बैंक खाता खोला गया।

निविदा शर्तों के अनुपालन में विफलता के कारण पोर्ट ने पार्टी को जून 2017 से परिचालन को रोकने का निर्देश दिया और बाद में पार्टी ने पोर्ट के खिलाफ आर्बिट्रेशन शुरू किया।

31.03.2018 को जेएमसी के लेखा परीक्षित खातों में 35.17 लाख रुपये के संचित लाभ दर्शाये गए हैं। कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के लिए लाभकारी शेयर का 30% यानि 10.55 लाख रुपये को वर्ष 2017-18 के दौरान सीओपीटी की लेखा में "विविध प्राप्तियां" के तहत आय के रूप में दर्शाया गया है। लाभ का 70% हिस्सा यानि 24.62 लाख रुपये मेसर्स आईडब्ल्यूआई को देय है, जिसे सीओपीटी के खाते में आईडब्ल्यूआई को देय के रूप में दर्शाया गया है एवं मेसर्स लॉट्स शिपिंग लिमिटेड के साथ विवाद के निपटारे के बाद इसका निपटारा किया जाएगा।

बी) 1996 पूर्व पट्टाधारियों से बकाया देय

1996 पूर्व पट्टाधारियों के संबंध में, पोर्ट ने वर्ष 2014 में टाम्प अधिसूचित दर 2010 पर आधारित संशोधित लीज भाड़ा लगाया है। हालांकि, कोचिन पोर्ट लीज होल्डर्स एसोसिएशन के माध्यम से केरल के माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमे दायर किए गए और मामले में स्थिति बनाए रखने के लिए 25.02.2015 को अंतरिम आदेश जारी किया गया। इस बीच, संपदा भाड़ा को एक बार फिर से टाम्प अधिसूचना संख्या 304 दिनांक 22.07.2016 में संशोधित किया गया और यह 21.08.2016 से प्रभावी हुआ। पोर्ट द्वारा प्राप्त कानूनी राय के आधार पर, टाम्प अधिसूचित दर पर बिलों को 21.08.2016 से 1996 पूर्व पट्टाधारियों सहित सभी पट्टों के संबंध में उठाया गया था। हालांकि कोचिन पोर्ट लीजहोल्डर्स एसोसिएशन डब्ल्यूपी(सी) सं.12138/2017 (एन) के साथ 2 अन्य याचिकाकर्ताओं (1996 पूर्व पट्टाधारी) ने केरल के माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। दिनांक 06.04.2017 के आदेशानुसार वर्द्धित राशि की वसूली के लिए अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने दि.04.09.2019 के निर्णय के अनुसार सीओपीटी के पक्ष में डब्ल्यूपी सं.5974/2015 एवं 29/2015 को खारिज कर दिया। तदनुसार सीओपीटी ने फ़रवरी 2020 को टाम्प 2010 यानि 01.10.2014 से 20.08.2016 तक लीज भाड़ा में अंतर राशि के लिए बकाया बिलों की मांग की। 31.03.2020 तक मुकदमेबाजी के तहत कुल बकाया 6.18 करोड़ रुपये है, जिसमें से 4.16 करोड़ रुपये उपरोक्त निर्णय से संबंधित है।

सी) जेट्टियों पर लाइसेंस शुल्क

पोर्ट, सीओपीटी(जेट्टियों, स्लीपवेज एण्ड बोट पेंस के लाइसेंसिंग) विनियम, 1968 एवं 1996 में इसके संशोधनों के आधार पर जेट्टियों एण्ड पायरो से लाइसेंस शुल्क संग्रह करता है। शुरू में लाइसेंस शुल्क 1,297 रुपये प्रति जेट्टी प्रति वर्ष था जिसे बाद में उन लोगों, जो दूसरों से संबंधित बलोम/नौकाओं को बांधने के लिए अपने जेट्टी को किराए पर देते हैं, के लिए 1,00,000 रुपये प्रति जेट्टी प्रति वर्ष तक बढ़ाया गया था। महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 123(एन) के तहत यथा अपेक्षित संशोधनों को 13.05.2014 में सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया एवं उसे 16.06.2014 को जेट्टी मालिकों को संचारित किया गया। जेट्टी मालिकों ने माननीय उच्च न्यायालय केरल में रिट

याचिका दायर की और अंतरिम आदेश पारित किया गया कि यदि याचिकाकर्ता मांगी गई राशि का एक/चौथाई भुगतान करते हैं , तो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। उपयोग में आ रहे 287 जेट्टियों में से केवल 65 मालिकों ने लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया है। शेष राशि मुकदमे के कारण लंबित है। इसके बाद पोर्ट ने दरों में कमी की और जेट्टी के विवरण के आधार पर रु.2000/- से रु.100000/- के बीच एक स्लैब दर पेश किया। इन्हें केरल राजपत्र में प्रकाशित किया गया है और केंद्रीय राजपत्र में प्रकाशन की प्रतीक्षा की जा रही है। इन दरों को वर्ष 2016 में टाम्प द्वारा पोर्ट के एसओआर में सामान्य संशोधन में बताया गया है जो 21.08.2016 को लागू हुआ है।

डी) एनटीबी और एसटीबी के बिजली बिल

नर्थ एवं साउथ टैंकर बर्थों में पोर्ट के एचटी बिजली संयोजन को एचटीआईआई (गैर औद्योगिक - गैर वाणिज्यिक) टैरिफ के तहत बिल किया गया। टैरिफ में संशोधन के परिणामस्वरूप केएसईबी ने 15.05.1999 से एचटी II से एचटी IV (वाणिज्यिक) टैरिफ का पुनर्वर्गीकरण किया और केएसईबी ने मई 1999- जुलाई 2010 की अवधि के लिए संशोधित बिल जारी किया और बकाया राशि की मांग की। कोचिन पोर्ट ट्रस्ट ने बकाया की मांग के खिलाफ केएसईबीएल के उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) के समक्ष एक याचिका दायर की और एचटी-II के रूप में टैरिफ को बनाए रखने का अनुरोध किया। हालांकि सीजीआरएफ ने केएसईबीएल के फैसले को सही ठहराया। इस पर असंतुष्ट सीओपीटी ने माननीय विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील की एवं लोकपाल ने आखिरकार आदेश दिया कि एनटीबी और एसटीबी पर सीओपीटी के टैरिफ को केवल एचटी- II के तहत बरकरार रखा जाए। केएसईबी ने केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लोकपाल के आदेश के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की। केरल के माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय प्राप्त होना बाकी है। पोर्ट वर्तमान में HT-II टैरिफ के तहत बिल का भुगतान कर रहा है। इस विवाद में 31.03.2020 तक अंतर राशि 74.78 लाख रुपये है।

ई) संपदा भाड़ा के मामले में, उन मामलों में बिलिंग नहीं की गई है , जिनके लिए पोर्ट ने फिर से शुरू करने का नोटिस दिया है और बेदखली की प्रक्रिया चल रही है।

एफ) ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप:

वर्ष के दौरान , पोर्ट ने 7.98 करोड़ रुपये की एसईआईएस स्क्रिप के लिए आवेदन किया है और इसे जेडीएफटी द्वारा जारी किया जाना बाकी है। पोर्ट ने 2019-20 के दौरान 98.78% के शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के आधार पर आय को स्वीकार किया है।

इसी तरह, मेसर्स आईजीटीपीएल ने भी वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए क्रमशः 6.77 करोड़, 5.74 करोड़ और 5.57 करोड़ रुपये स्क्रिप प्राप्त किया है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक और राजस्व लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकनों के आधार पर कि आईजीटीपीएल ने एसईआईएस स्क्रिप्स की बिक्री पर राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान नहीं किया है , पोर्ट ने हमारे कानूनी सलाहकारों और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कानूनी राय मांगी और आईजीटीपीएल पर अपनी

मांग उठाया। हालांकि, आईजीटीपीएल ने पोर्ट को बताया कि एसईआईएस स्क्रिप पर रॉयल्टी देय नहीं है।

लाइसेंस समझौते की धारा 15.1 के अनुसार इस मुद्दे और विचारों के अंतर की आपसी हल के लिए 02.09.2019 को एक बैठक आयोजित की गई थी। हालाँकि, यह व्यर्थ था। इसलिए इस मुद्दे को हल करने के लिए विशेषज्ञ की सहायता लेने के लिए लाइसेंस समझौते की धारा 15.2 को लागू करने के लिए पारस्परिक रूप से निर्णय लिया गया। तदनुसार, माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस . सिरी जगन को सीओपीटी और आईजीटीपीएल द्वारा कानूनी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया। विशेषज्ञ ने पोर्ट के पक्ष में दि.07.05.2020 ईमेल में अपनी राय प्रकट किया।

29. कोचिन मत्स्यकीय बंदरगाह की लेखा का एक अलग सेट लेखा रिपोर्ट में दर्शाया गया है।

ह/-

वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी



आईएसओ 9001:2015 एवं आईएसपीएस अनुवर्ती पोर्ट

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

विल्लिंगडन आईलन्ड, कोचिन- 682 009

2019-20

के वार्षिक लेखे

पर

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 102 के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के लाभ व हानि खाता एवं संलग्न तुलनपत्र का लेखा परीक्षण किया। ये वित्तीय विवरण पोर्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सर्वोत्तम लेखांकन प्रणाली, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों, आदि की पुष्टि के साथ वर्गीकरण के संबंध में केवल लेखांकन के आधार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों और विनियमों (स्वामित्व और नियमितता) और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं, आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा अवलोकन यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से सूचित किया जाता है।
3. हमने भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों को वित्तीय विवरण गलत बयान से मुक्त है, इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु हमारी योजना व लेखा परीक्षा की आवश्यकता है। एक लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित राशि के समर्थित साक्ष्य शामिल होते हैं। एक लेखा परीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों के साथ साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।
4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :
 - i. हमने लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास के अवरूप आईजीटीपीएल के साथ रियायत समझौते के अनुसार कोचिन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा प्राप्त कुल राजस्व एवं उसी राजस्व के अनुरूप हिस्से को प्रमाणित करने हेतु इंडिया गेटवे टर्मिनल (पी) लिमिटेड (आईजीटीपीएल) के मूल रिकॉर्ड के अलावा सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए। महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 102 के तहत सीएजी द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार की गई इस रिपोर्ट के साथ तुलन पत्र एवं लाभ व हानि लेखा तैयार किए गए हैं;
 - ii. हमारी राय में, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 102 के तहत आवश्यक खातों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों उचित रूप से बनाए रखा गया है, जो हमारे परीक्षण में प्रकट हुआ है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

ए. तुलन पत्र:

ए. I. निधि का उपयोग:

ए. I.1 मौजूदा देनदारियाँ एवं प्रावधानों 694.21 करोड़ रुपये

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार मौजूदा कर्मचारियों व पेंशनरों के पेंशन और ग्रेच्युटी योगदान के कारण देयता 31 मार्च 2020 तक 3193.34 करोड़ थी, जिसके विरुद्ध पेंशन और ग्रेच्युटी फंड में निवेश 335.86 करोड़ था, जो 2857.48 करोड़ की कमी को दर्शाती है। यह मौजूदा देनदारियों एवं प्रावधानों में 2857 .48 करोड़ की कम बयानी के साथ उसी सीमा तक लाभ के अति बयानी में परिणामित हुआ है।

टिप्पणी को 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी शामिल किया गया था। हालांकि, पोर्ट द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

बी .लाभ व हानि लेखा:

बी .I.आय:

बी. I.1 वित्त एवं विविध आय(अनुसूची एन)– 43.20 करोड़ रुपये

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट ने 19 मार्च 2020 को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एसईआईएस स्क्रिप्ट मूल्यांकन हेतु 7.98 करोड़ रुपये प्रयुक्त किया एवं उसके 98.78 % को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आय के रूप में मान्यता दी। चूंकि खुले बाजार में उसी की सफल नीलामी पर लाभांश की प्राप्ति आकस्मिक थी, 31 मार्च 2020 तक आय की मान्यता, लाभ के संगत अति बयानी के साथ 7.88 करोड़ रुपये आय की अति बयानी में परिणामित हुआ।

सी .लेखा पर टिप्पणी:

सी. 1 लेखा पर टिप्पणी में कोचिन पोर्ट ट्रस्ट ने पेट्रोनेट एलएनजी लि. के साथ संपन्न एकल निपटान को [मद सं.26(ए)] में प्रकट किया है। हालांकि, लीज भाड़ा के आय का ब्योरा 31.17 करोड़ की राशि के बारे में नहीं बताया गया है।

सी. 2 सीआईएसएफ ने 31 मार्च 2020 तक तैनाती लागत के विलंबित भुगतान के लिए 21.48 करोड़ जुर्माना ब्याज का दावा किया था। जुर्माना ब्याज के छूट हेतु किए गए अनुरोध को गृह मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिली एवं यह पोत परिवहन मंत्रालय में लंबित है। नोटों में इन तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया है।

डी. सामान्य:

पोर्ट ने न तो बीमांकिक मूल्यांक को कार्यान्वित किया है और न ही खातों में अपने कर्मचारियों के अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए देयता प्रदान की है।

डी. 1 टिप्पणी को 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए अलग ऑडिट रिपोर्ट में भी शामिल किया गया था। हालांकि, पोर्ट द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ई. अनुदान सहायता

01 अप्रैल 2019 को अनुदान का आदि शेष राशि 25.85 करोड़ थी। 2019-20 के दौरान पोर्ट द्वारा प्राप्त अनुदान सहायता 13.13 करोड़ (अर्जित ब्याज 1.02 करोड़ सहित) थी, जिसमें मार्च 2020 के दौरान 0.54 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। वर्ष 2019-20 के दौरान 24.19 करोड़ राशि खर्च की गई थी, जिसमें से 2.07 करोड़ पोर्ट के अपने कोष से खर्च किए गए थे। 31 मार्च 2020 तक अनुपयोगी अनुदान के रूप में 16.86 करोड़ शेष थे।

v. पूर्ववर्ती पैराग्राफ में हमारे अवलोकन के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट के साथ संबंधित तुलन पत्र एवं लाभ व हानि खाता लेखा पुस्तक के साथ सहमत है।

vi. हमारी राय में तथा हमारे सर्वोत्तम जानकारी व हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-II में उल्लिखित अन्य मामलों व ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण मामलों के आधार पर लेखांकन नीति व लेखा पर टिप्पणी के साथ पठित उपर्युक्त वित्तीय विवरण आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही व निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं:

ए. जहां तक यह 31 मार्च 2020 तक कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के मामलों की स्थिति के तुलन पत्र से संबंधित है: एवं

बी. जहां तक यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ के लाभ और हानि खाते से संबंधित है।

5. पिछले तीन वर्षों के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाते खातों की समीक्षा अनुबंध-II में दी गई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

ह/-

(आर. अम्बालवान)

महानिदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा, चेन्नई

स्थान: चेन्नई

तिथि: 20.08.2020

अनुबंध-1

आंतरिक लेखा परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण:

1) आंतरिक लेखापरीक्षा की पर्याप्तता:

पोर्ट की आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट को सौंपी गई थी। वर्ष 2019-20 के लिए आंतरिक ऑडिट पूरा हो गया है।

2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की पर्याप्तता एवं नियमों व विनियमों के अनुपालन के साथ परिचालन की दक्षता और प्रभावशीलता के संबंध में किसी संगठन के उद्देश्यों की उपलब्धि पर एक उचित आश्वासन प्रदान करती है।

3) अचल संपत्ति के भौतिक सत्यापन

वर्ष 2019-20 में अचल संपत्ति के भौतिक सत्यापन किया गया।

4) सामग्रियों के भौतिक सत्यापन प्रणाली

सामग्रियों के सत्यापन प्रणाली में कोई विसंगतियां नहीं पाई गईं।

5) सांविधिक देय के भुगतान में नियमितता

पोर्ट नियत तिथि पर भविष्य निधि, ईएसआई, आयकर, जीएसटी आदि सांविधिक देय का भुगतान कर रहा है।

ह/-

निदेशक(प्रशासन)

अनुलग्नक-II

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट की लेखा की समीक्षा।

नोट: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल लेखापरीक्षा अवलोकन/टिप्पणियों को ध्यान में रखे बिना लेखा की समीक्षा तैयार किया गया है।

1. वित्तीय स्थिति

निम्न सारणी 31 मार्च, 2018, 2019 एवं 2020 को समाप्त प्रत्येक तीन वर्षों की समाप्ति में कोचिन पोर्ट ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति सारांशित करती है।

(करोड़ रुपये में)

विवरण		2017-18	2018-19	2019-20
ए.	देयताएं			
(i)	पूंजी आरक्षण	84.84	84.84	84.84
(ii)	अन्य आरक्षण	22.97	43.21	34.26
(iii)	उधार - पूंजी ऋण, सरकार से ऋण	258.14	232.33	206.51
	अन्य ऋण	0.66	0.30	0.30
(iv)	मौजूदा देनदारियाँ और प्रावधान	975.08	955.25	868.39
(v)	अन्य देनदारियाँ	61.03	64.95	68.35
	कुल	1402.72	1380.88	1262.65
बी	संपदाएँ			
(i)	अचल संपदा	685.02	688.71	676.60
(ii)	न्यून: मूल्यहास	(283.75)	(302.34)	(306.00)
(iii)	निवल अचल संपदा	401.27	386.37	370.60
(iv)	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	24.59	20.54	28.23
(v)	निवेश	0.15	0.15	1.15
(vi)	मौजूदा संपदाएं, ऋण एवं अग्रीम	443.79	460.18	370.23
(vii)	संचित घाटा	532.92	513.74	492.44
	कुल	1402.72	1380.88	1262.65
सी	कार्यशील पूंजी¹	(-531.29)	(-495.17)	(-498.16)
डी	निवल मूल्य²	(-425.11)	(-385.69)	(-373.34)
ई	पूंजी नियोजित³	(-130.02)	(-108.80)	(-127.56)
एफ	नियोजित पूंजी पर रिटर्न⁴ (में %)	(+)10.42	(+)17.63	(+)16.70
1	कार्यशील पूंजी ऋण पर अर्जित ब्याज सहित मौजूदा संपदा, मौजूदा कम देनदारियाँ को दर्शाती है।			
2	निवल मूल्य पूंजी आरक्षण और अन्य आरक्षण व अधिशेष कम संचित घाटे को दर्शाता है।			
3	नियोजित पूंजी निवल अचल संपदाओं और कार्यशील पूंजी को दर्शाता है।			
4	नियोजित पूंजी पर रिटर्न, नियोजित पूंजी के लिए शुद्ध अधिशेष/घाटे (विनियोजन से पहले) की प्रतिशतता को दर्शाती है।			

2. कार्यशील परिणाम:

31 मार्च 2020 को समाप्त तीन वर्षों के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के कार्यशील परिणाम

(करोड़ रुपये में)

	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
ए	राजस्व			
(i)	परिचालन आय	526.79	585.51	649.03
(ii)	गैर-परिचालन आय	51.15	46.61	43.20
	कुल	577.94	632.12	692.23
बी	व्यय			
(i)	परिचालन व्यय	367.22	374.67	355.88
(ii)	गैर-परिचालन व्यय	197.18	238.27	315.05
	कुल	564.40	612.94	670.93
सी	विनियोजन से पहले निवल अधिशेष/घाटा	(+)13.54	(+)19.18	(+) 21.30
डी	न्यून: विनियोजन / संयोजन: हस्तान्तरण(निवल)	0	0	0
ई	राजस्व आरक्षण को हस्तान्तरित अधिशेष/घाटा	(+)13.54	(+)19.18	(+) 21.30
एफ	अधिशेष/घाटा के लिए निवल की प्रतिशतता:			
(i)	परिचालन आय	(+)2.57	(+)3.28	(+)3.28
(ii)	निवल अचल संपदाएँ	(+)3.37	(+)4.96	(+)5.75
(iii)	निवल मूल्य	(+)3.18	(+)4.97	(+)5.70

3. अनुपात विश्लेषण

पोर्ट ट्रस्ट के नकदी एवं सम्पन्नता पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपात नीचे दर्शाए गए हैं:

- वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान वर्तमान देनदारियों के लिए मौजूदा संपत्ति का प्रतिशत क्रमशः 45.51, 48.17 और 42.63 था।
- वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान वर्तमान देनदारियों के लिए तत्काल संपदाओं की प्रतिशतता क्रमशः 37.18, 39.53 एवं 33.89 था।
- वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान परिचालन आय के लिए विविध देनदारों की प्रतिशतता क्रमशः 27.97, 23.59 एवं 9.57 था।
- वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान पूंजीगत भण्डार एवं सामान्य भण्डार के अनुपात के लिए पूंजीगत ऋण क्रमशः 2.53, 2.28 एवं 2.02 था।

ह/-

निदेशक (प्रशासन)



आईएसओ 9001:2015 एवं आईएसपीएस अनुवर्ती पोर्ट

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

विल्लिंगडन आईलन्ड, कोचिन- 682 009

ली गई

कार्रवाई टिप्पणी

सहित

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

2019-20

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखा पर उठाए गए टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई नोट

ए. तुलन पत्र :

ए.1. पूंजी उपयोग:

ए.1.1. मौजूदा देनदारियां एवं प्रावधान: 694.21 करोड़ रुपये

31 मार्च 2020 तक बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार मौजूदा कर्मचारियों व पेंशनरों के पेंशन एवं ग्रेच्युटी अंशदान के कारण देयता 3193.34 करोड़ रुपये है, जिसके लिए पेंशन व ग्रेच्युटी निधि में 335.86 करोड़ रुपये निवेश हुआ है, जो 2857.48 करोड़ रुपये की कमी दर्शाता है। यह मौजूदा देनदारियों व प्रावधानों में 2857.48 करोड़ रुपये की कमबयानी एवं साथ ही साथ उसी सीमा तक लाभ के अतिबयानी में परिणामित हुआ है। यह टिप्पणी वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 इन तीन वर्षों लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी शामिल किया गया था। फिर भी पोर्ट द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

- पेंशन और ग्रेच्युटी अंशदान के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर बड़े प्रावधानों के लिए कोचिन पोर्ट की मौजूदा वित्तीय स्थिति अनुकूल नहीं है, परिणामतः पोर्ट को भारी नुकसान होगा और यह सरकारी अनुदान सहायता/वित्तीय संस्थानों से धन जुटाने हेतु कोचिन पोर्ट ट्रस्ट को अयोग्य साबित कर सकता है। अतः पेंशन व ग्रेच्युटी निधि के लिए अंशदान में समी हेतु प्रावधान नहीं किया गया है।

बी. लाभ और हानि लेखा:

बी.1. आय:

बी.1.1. वित्तीय एवं विविध आय(अनुसूची एन)-43.20 करोड़ रुपये

सीओपीटी ने 19.03.2020 को वर्ष 2018-19 के लिए 7.98 करोड़ रुपये मूल्य के एसईआईएस स्क्रिप लागू किया एवं वर्ष के दौरान इसके 98.78% को आय के रूप में स्वीकार किया। चूंकि डीजीएफटी से अनुमोदन लंबित है एवं लाभांश की प्राप्ति खुले बाजार में उसी की सफल नीलामी पर अनिश्चित है, 31.03.2020 को आय के रूप में स्वीकार्यता गलत था। यह लाभ के अनुरूपी अतिबयानी के साथ रु.7.88 करोड़ रुपये के उपर्युक्त आय अतिबयानी में परिणामित हुआ है।

- वर्ष 2018-19 के लिए 19.03.2020 को एसईआईएस स्क्रिप का अनुप्रयोग दायर किया गया था एवं पिछले अनुभव के अनुसार यह आम तौर पर जेडीएफटी द्वारा स्क्रिप जारी किए जाने हेतु करीब दो से तीन माह का समय लेता है। लेखा को अंतिम रूप देते समय कोई आकस्मिकता नहीं थी और पोर्ट को पिछले वर्षों की भांति सामान्य समय में स्क्रिप जारी होने की उम्मीद थी। अतः पिछले डेटा के आधार पर पोर्ट द्वारा लागू स्क्रिप के मूल्य के 98.78 % के औसत वसूलयोग्य मूल्य पर प्रावधान तैयार किया गया था।

तत्पश्चात पोर्ट को 09.07.2020 को 7.98 करोड़ रुपये का एसईआईएस स्क्रिप जारी किया गया।

सी. लेखा के लिए टिप्पणी :

सी.1. लेखा के लिए नोट में, सीओपीटी ने पेट्रोनेट एलएनजी लि. के साथ सम्पन्न एक बार अदायगी के विवरण [मद संख्या 26(ए)] का खुलासा किया है। हालांकि 31.17 करोड़ रुपये के उल्लिखित लीज भाड़ा आय के विवरण दर्शाया नहीं गया है।

- वर्ष 2019-20 के लिए लेखा की टिप्पणी में चूंकि मामला कोपहले से ही सुलझा दिया गया है और आगे कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है केवल मेसर्स पीएलएलएल के साथ एक बार अदायगी के शुद्ध प्रभाव का खुलासा किया गया है। इसके अलावा 23.10.2019 एवं 17.12.2019 को सम्पन्न बोर्ड बैठक में इस विषय पर विस्तार से वर्णन किया गया था जिसमें विस्तृत कामकाज का अलग से खुलासा किया गया था।

सी.2. सीआईएसएफ ने 31 मार्च 2020 तक तैनाती लागत के लिए विलंबित भुगतान हेतु जुर्माना के रूप में 2.48 करोड़ रुपये का दावा किया था। गृह मंत्रालय द्वारा जुर्माना की माफी का अनुरोध नहीं किया गया है और यह पोत परिवहन मंत्रालय के पास लंबित है। लेखा पर टिप्पणियों में इन तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया है।

- पुनःसर्वेक्षण के माध्यम से सीआईएसएफ के पुनर्गठन क्षमता को अंतिम रूप दिए जाने में सीआईएसएफ की ओर से हुई देरी के कारण फरवरी 2014 से मई 2015 तक सीओडी बिल को पोर्ट द्वारा रोके जाने पर 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान मुख्य रूप से सीआईएसएफ भुगतान पर दंड ब्याज जमा हुआ है।

सीआईएसएफ पर व्यय को कम करने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय के निर्देशानुसार पोर्ट ने सीओपीटी में सीआईएसएफ क्षमता को कम करने के लिए एक पुनःसर्वेक्षण संचालन करने हेतु सीआईएसएफ के प्राधिकारियों से अनुरोध किया था। तदनुसार सितम्बर 2013 में पुनःसर्वेक्षण संचालन किया गया था। हालाँकि, पुनःसर्वेक्षण को अंतिम रूप दिए जाने में देरी हुई, जिसके लिए सीआईएसएफ के पुनःसर्वेक्षण मंडल के सदस्य पूर्णतः उत्तरदायी हैं। चूंकि पोर्ट की वित्तीय स्थिति खराब हो गई थी, सीओपीटी को फरवरी 2014 से मई 2015 तक सीओडी बिलों के भुगतान को रोकना पड़ा जो सीओपीटी द्वारा अग्रिम सूचना देने के बाद और इस वित्तीय संकट को हल करने के लिए पर्याप्त समय देने के बाद किया गया था। जून 2015 में पुनःसर्वेक्षण को अंतिम रूप देने के बाद सीआईएसएफ को यह राशि जारी की गई थी। इसलिए, सीओपीटी ने सीआईएसएफ द्वारा लगाए गए जुर्माना को कभी स्वीकार नहीं किया है क्योंकि देरी मुख्य रूप से सीआईएसएफ की ओर से चूक के कारण हुई है।

इसके अलावा, वर्ष 2011 से आईसीटीटी, वल्लारपाडम में सीआईएसएफ की तैनाती के सीओडी भुगतान मेसर्स आईजीटीपीएल द्वारा नहीं किया गया था। दिसंबर 2015 के बाद आईसीटीटी में सीआईएसएफ की तैनाती बंद कर दी गई। आईसीटीटी के लिए लागू सीओडी बिल का हिस्सा रु. 13.41 करोड़ है, जो पोर्ट द्वारा भी रोक दिया गया है क्योंकि पोर्ट की वित्तीय स्थिति इस भुगतान को अपने आंतरिक संसाधनों से पूरा करने के लिए अनुकूल नहीं है। सीआईएसएफ को यह सूचित किया गया था कि यह मामला आईजीटीपीएल के साथ आर्बीट्रेशन में है और आर्बीट्रेशन के परिणाम के आधार पर इसका निपटारा किया जाएगा। पोर्ट

द्वारा जिला न्यायालय के समक्ष आईजीटीपीएल बकाया के संबंध में आर्बीट्रेशन आर्डर को चुनौती दी गई है। उपरोक्त तथ्यों के बावजूद सीआईएसएफ ने उस पर जुर्माना लगाया है, जो पोर्ट को स्वीकार्य नहीं है।

उपरोक्त दो मामलों के अलावा, पोर्ट द्वारा वसूल किए गए अतिरिक्त प्रतिभूति जमा जैसी कुछ राशियों पर, सेवा कर विभाग आदि के निर्देशानुसार जो स्वयं पोर्ट द्वारा देय नहीं है, पोर्ट द्वारा भुगतान की गई राशि एवं वापस किए गए राशि पर सीआईएसएफ द्वारा जुर्माना लगाया गया है।

चूंकि सीओपीटी ने सीआईएसएफ द्वारा लगाए गए दंड ब्याज की देयता को कभी स्वीकार नहीं किया है, इसलिए लेखा खातों में प्रावधान नहीं बनाया गया है। भारत सरकार के ऋण पर अर्जित जुर्माना के मामले में भी, पोर्ट ने लेखा खातों में कोई प्रावधान नहीं बनाया था क्योंकि पोर्ट इसकी छूट के लिए मंत्रालय के साथ इस मामले को उठा रहा था। अंत में, जुर्माना के उस घटक के लिए प्रावधान बनाया गया था जो मंत्रालय के निर्देशानुसार पोर्ट द्वारा भुगतान करने के लिए अनिवार्य था।

उसी प्रकार, सीआईएसएफ के जुर्माना के मामले में पोर्ट अभी भी मंत्रालय के साथ मामले को आगे बढ़ा रहा है। पोर्ट परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में अपने पत्र दिनांक 09.07.2020 को पोर्ट से सीआईएसएफ को बकाया भुगतान पर कुछ विवरण मांगा है ताकि गृह मंत्रालय के साथ जुर्माना के छूट का मामला उठाया जा सके। अतः मंत्रालय के निर्देश के आधार पर भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक प्रावधान बनाया जाएगा।

डी. सामान्य :

पोर्ट ने लेखा में न तो वीमाकिंक मूल्यांकन को कार्यान्वित किया और न ही अपने कर्मचारियों के अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए कोई देयता प्रदान किया है।

डी.1. टिप्पणी को 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी शामिल किया गया था। हालांकि पोर्ट द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

- हम उपर्युक्त लेखापरीक्षा जांच की प्राप्ति पर एतद्वारा प्रकाश करते हैं, कि पोर्ट ट्रस्ट के वार्षिक लेखा बिलिमोरिया रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर तैयार किए गए हैं जो न तो अर्जित अवकाश के वीमाकिंक मूल्यांकन हेतु आवश्यकता को विनिर्दिष्ट करता है और न ही उसके लिए कोई देयता प्रदान करता है। अतः पोर्ट, कर्मचारियों के अर्जित अवकाश के वीमाकिंक मूल्यांकन को लेने की प्रथा का अनुसरण नहीं करता है।

ई. अनुदान सहायता :

01 अप्रैल 2019 तक अनुदान का आदि शेष 25.85 करोड़ रुपये है। पोर्ट द्वारा 2019-20 में प्राप्त अनुदान सहायता 13.13 करोड़ रुपये था (1.02 करोड़ रुपये की अर्जित ब्याज समेत) जिसमें से मार्च 2020 में 0.54 करोड़ रुपये प्राप्त किया गया था। वर्ष 2019-20 में 24.19 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जिसमें से 2.07 करोड़ रुपये पोर्ट के अपने कोष हेतु खर्च किए गए थे। 31 मार्च, 2020 तक अनुप्रयुक्त अनुदान के रूप में 16.86 करोड़ रुपये शेष थे।

- तथ्यात्मक

अनुलग्नक I

आंतरिक लेखापरीक्षा एवं आंतरिक नियंत्रण

1) आंतरिक लेखापरीक्षा की पर्याप्तता

पोर्ट के आंतरिक लेखापरीक्षा चैटार्ड अकाउंटेंट को सौंप जाता है। वर्ष 2019-20 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा पूर्ण हुआ है।

- *तथ्यात्मक*

2) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली किसी संगठन के उद्देश्यों की दक्षता और संचालन की प्रभावशीलता, नियमों और विनियमों के अनुपालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में एक उचित आश्वासन प्रदान करती है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई बड़ी विसंगतियां नहीं पाई गईं।

- *तथ्यात्मक*

3) अचल संपदाओं का भौतिक सत्यापन

अचल संपदाओं का भौतिक सत्यापन वर्ष 2019-20 के दौरान किया गया।

- *तथ्यात्मक*

4) वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन प्रणाली

वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन प्रणाली में कोई विसंगतियां नहीं पाई गईं।

- *तथ्यात्मक*

5) सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

पोर्ट नियत तिथि पर भविष्य निधि, ईएसआई, आय कर, जीएसटी, आदि का भुगतान कर रहा है।

- *तथ्यात्मक*

अनुलग्नक-II

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट की लेखा की समीक्षा।

नोट: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल लेखापरीक्षा अवलोकन/टिप्पणियों को ध्यान में रखे बिना लेखा की समीक्षा तैयार किया गया है।

1. वित्तीय स्थिति

निम्न सारणी 31 मार्च, 2018, 2019 एवं 2020 को समाप्त प्रत्येक तीन वर्षों की समाप्ति में कोचिन पोर्ट ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति सारांशित करती है।

(रु. करोड़ में)

विवरण		2017-18	2018-19	2019-20	
ए.	देयताएं				
(i)	पूंजी भण्डार	84.84	84.84	84.84	
(ii)	अन्य भण्डार	22.97	43.21	34.26	
(iii)	उधार - पूंजी ऋण, सरकार से ऋण	258.14	232.33	206.51	
	अन्य ऋण	0.66	0.30	0.30	
(iv)	मौजूदा देनदारियाँ और प्रावधान	975.08	955.25	868.39	
(v)	अन्य देनदारियाँ	61.03	64.95	68.35	
	कुल	1402.72	1380.88	1262.65	
बी	संपदाएँ				
(i)	अचल सम्पदा	685.02	688.71	676.60	
(ii)	न्यून: अवमूल्यन	(283.75)	(302.34)	(306.00)	
(iii)	निवल अचल सम्पदा	401.27	386.37	370.60	
(iv)	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	24.59	20.54	28.23	तथ्यात्मक
(v)	निवेश	0.15	0.15	1.15	
(vi)	मौजूदा सम्पदाएं, ऋण एवं अग्रिम	443.79	460.08	370.22	
(vii)	संचित घाटा	532.92	513.74	492.43	
	कुल	1402.72	1380.88	1262.65	
सी	कार्यशील पूंजी¹	(-)531.29	(-)495.17	(-)498.16	
डी	निवल मूल्य²	(-)425.11	(-)385.69	(-)373.34	
ई	पूंजी नियोजित³	(-)130.02	(-)108.80	(-)127.55	
एफ	नियोजित पूंजी पर रिटर्न⁴ (में %)	(+)10.42	(+)17.63	(+)16.70	
1	कार्यशील पूंजी ऋण पर अर्जित ब्याज सहित मौजूदा संपदा, मौजूदा कम देनदारियाँ को दर्शाती है।				
2	निवल मूल्य पूंजी भंडार और अन्य भंडार और अधिशेष कम संचित घाटे को दर्शाता है।				
3	नियोजित पूंजी निवल अचल संपदाओं और कार्यशील पूंजी को दर्शाता है।				
4	नियोजित पूंजी पर रिटर्न, नियोजित पूंजी के लिए शुद्ध अधिशेष/घाटे (विनियोजनसे पहले) की प्रतिशतता को दर्शाती है।				

2. **कार्यशील परिणाम:**

31 मार्च 2020 को समाप्त तीन वर्षों के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के कार्यशील परिणाम

(रु.करोड़ में)

	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	
ए	राजस्व				तथ्यात्मक
(i)	परिचालन आय	526.79	585.51	649.03	
(ii)	गैर-परिचालन आय	51.15	46.61	43.20	
	कुल	577.94	632.12	692.23	
बी	व्यय				
(i)	परिचालन व्यय	367.22	374.67	355.88	
(ii)	गैर-परिचालन व्यय	197.18	238.27	315.05	
	कुल	564.40	612.94	670.93	
सी	विनियोजन से पहले शुद्ध अधिशेष/घाटा	(+)13.54	(+)19.18	(+)21.30	
डी	न्यून: विनियोजन / संयोजन: हस्तान्तरण(निवल)	0	0	0	
ई	राजस्व भण्डार को हस्तान्तरित अधिशेष/घाटा	(+)13.54	(+)19.18	(+)21.30	
एफ	अधिशेष/घाटा के लिए निवल की प्रतिशतता				
(i)	परिचालन आय	(+)2.57	(+)3.28	(+)3.28	
(ii)	निवल अचल संपदाएँ	(+)3.37	(+)4.96	(+)5.75	
(iii)	निवल मूल्य	(+)3.18	(+)4.97	(+)5.70	

3. **अनुपात विश्लेषण**

पोर्ट ट्रस्ट के नकदी एवं सम्पन्नता पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपात नीचे दर्शाए गए हैं:

<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2017-18,2018-19 एवं 2019-20 के दौरान वर्तमान देनदारियों के लिए मौजूदा संपत्ति का प्रतिशत क्रमशः 45.51, 48.17 और 42.63 था। 	तथ्यात्मक
<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2017-18,2018-19 एवं 2019-20 के दौरान वर्तमान देनदारियों के लिए तत्काल संपदाओं की प्रतिशतता क्रमशः 37.18,39.53 एवं 33.89 था। 	
<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2017-18,2018-19 एवं 2019-20 के दौरान परिचालन आय के लिए विविध देनदारों की प्रतिशतता क्रमशः:27.97, 23.59 एवं 9.57 था। 	
<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2017-18,2018-19 एवं 2019-20 के दौरान पूंजीगत भण्डार एवं सामान्य भण्डार के अनुपात के लिए पूंजीगत ऋण क्रमशः 2.53, 2.28 एवं 2.02 था। 	

ह/-

वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी